बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

ध्येय

इमेज इंटेन्सीफायरों तथा अन्य चुने हुए क्षेत्रों में ग्राहक केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचलित कंपनी बनना

यथा 23 अगस्त, 2021 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड का निदेशक मंडल

क) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	अध्यक्ष	सीएमडी, बीईएल
ख) श्री दिनेश कुमार बत्रा	निदेशक	निदेशक (वित्त), बीईएल
ग) श्री शिवकुमारन के एम	निदेशक	निदेशक (मानव संसाधन), बीईएल
घ) श्री एम वी राजशेखर	निदेशक	निदेशक (आर एंड डी), बीईएल

यथा 23 अगस्त, 2021 को प्रधान कार्यपालक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी
श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	सुश्री प्रिया अय्यर	श्री पार्थानंद सरकार

बैंकर

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. एक्सिस बैंक लि.

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक	सचिवीय लेखा परीक्षक
मे. नातू एंड पाठक सनदी लेखाकार, पुणे	श्री योगेश कांदलगांवकर कंपनी सचिव, पुणे

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
1. निदेशक मंडल, प्रधान कार्यपालक, बैंकर और लेखा परीक्षक	1
2. विगत वित्तीय आंकड़े	2
3. अध्यक्ष का पत्र	3
4. मंडल की रिपोर्ट	5
क) संधारणीयता रिपोर्ट (*अनुलग्नक 1*)	12
ख) सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (*अनुलग्नक 2*)	13
ग) कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का प्रमाण-पत्र (*अनुलग्नक 3*)	16
घ) कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (*अनुलग्नक 4*)	17
ङ) फार्म ए.ओ.सी. - II (*अनुलग्नक 5*)	23
च) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (*अनुलग्नक 6*)	24
छ) सीएसआर कार्यों पर रिपोर्ट (*अनुलग्नक 7*)	28
ज) ऊर्जा संरक्षण आदि पर रिपोर्ट (*अनुलग्नक 8*)	32
5. वित्तीय विवरण	
क) तुलन-पत्र	34
ख) लाभ व हानि का विवरण	35
ग) नकदी प्राप्ति विवरण	36
घ) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	37
ङ) उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	38
च) वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ (टिप्पणी सं 1 से टिप्पणी सं. 40)	47
6. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	78
7. सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	86

दस वर्षों के वित्तीय आंकड़

(रु. मिलियन में)

विवरण	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
कुल आय	702	1578	1843	1242	1087	1312	1246	1204	569	595
कर पश्चात लाभ	82	58	50	37	24	48	116	142	30	49
इक्विटी पूँजी	183	183	183	183	378	592	663	722	839	845
प्रारक्षण एवं अधिशेष	255	312	362	398	676	1014	1219	1398	1514	1560
कार्यशील पूँजी	881	272	(185)	(322)	(86)	35	221	120	204	338
नियोजित पूँजी	942	347	37	573	745	892	1024	869	871	933
निवल मालियत	438	495	545	581	1055	1597	1868	2120	2353	2405

अध्यक्ष का पत्र

प्रिय शेयरधारक,

मुझे पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें तथा कंपनी की भावी दृष्टि प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता होती है।

वर्ष 2020-21 की झलकियाँ

वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 4075 लाख का कारोबार किया। 2020-21 के दौरान, कंपनी ने रु. 490 लाख का निवल लाभ दर्ज किया। कंपनी की निवल मालियत यथा 31.03.2021 को रु. 24052 लाख तक बढ़ी और 2.22% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जो मुख्य रूप से लाभ के बढ़ने तथा रु. 156 लाख के अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करने (प्रीमियम मूल्य सहित) के कारण है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2020-21 के लिए 30% के पी.ए.टी. के लाभांश की सिफारिश की है जो रु. 147 लाख बनता है।

अन्य उपलब्धियाँ -

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष की कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय करने के लिए अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ किए जाने वाले एमओयू के संबंध में, वर्ष 2019-20 के लिए "साधारण" की रेटिंग प्रदान की गई है।

कार्पोरेट अभिशासन रेटिंग

आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए "अत्युत्तम" की रेटिंग दी गई है।

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2020-21 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग।

[आईसीआरए]एए+ की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है। ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं।

अनुसंधान एवं विकास

कंपनी का डी एंड ई विभाग निर्माणी विभागों के संबंधित अनुभवी कार्यपालकों के साथ उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा विनिर्माणी एवं परीक्षण उपकरणों के कोटि उन्नयन का विकास कार्य आगे बढ़ाने और निष्पादन करने के लिए कार्य कर रहा है।

अनु. व वि. की टीम ने विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए

- मौजूदा डिज़ाइन में एक इलेक्ट्रॉनिक घटक के अप्रचलन से बचने के लिए वैकल्पिक डिज़ाइन से ऑटोगेटेड पावर सप्लाई यूनिट का थोक निर्माण करना
- इमेज इंटेन्सीफायर प्रणाली (परा बैंगनी संवेदनशील) की डिज़ाइन। इस प्रणाली का रणनीतिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोग है।
- शीतलित थर्मल इमेज अनुप्रयोगों के लिए देवार असेंबली की डिज़ाइन।

उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण, कंपनी ने अतिरिक्त उत्पादों की पहचान करने और कंपनी के विद्यमान उत्पादों की बाज़ार की संभावना में सुधार करने की ओर प्रगति की है।

कंपनी निर्माण और आपूर्ति में बेहतर उत्पाद गुणता तथा अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों का कोटि उन्नत करने की भी प्रक्रिया में कार्यरत है।

कंपनी अपनी सक्षमताओं और कौशल का उपयोग करते हुए नए उत्पाद विकसित करने के भी प्रयास कर रही है।

भावी दृष्टि

एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम अवस्था में है और इन्वर्टिंग तथा गैर-इन्वर्टिंग विन्यास के एक्सआर-5 श्रेणी के आई.आई.ट्यूब पहले ही प्रायोगिक उत्पादन के तहत है ।

बेलॉप कारोबारी अवसरों में सुधार करने तथा अपने उत्पादों की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करने की भी योजना बना रही है। विविधीकरण के तहत, बेलॉप ने एविएशन होज़ का निर्माण करने के लिए दिनांक 3 फरवरी 2021 को मे. रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस के साथ ऑफसेट संविदा पर हस्ताक्षर किया।

2021-22 में कार्य-निष्पादन

यथा 30.06.2021 को आपकी कंपनी की आदेश बही रु. 17.15 करोड़ की है। बहरहाल, कंपनी वर्ष के दौरान और अधिक आदेश प्राप्त होने और उन्हें कार्यान्वित करने की आशा करती है और वर्ष 2021-22 में लगभग रु. 70 करोड़ की बिक्री करने की अपेक्षा रखती है।

अभिशासन एवं संधारणीयता

आपकी कंपनी कार्पोरेट अभिशासन में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करती है। सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट मंडल के रिपोर्ट में दी गई है।

आभार

मैं निदेशक मंडल द्वारा दिए गए समर्थन और मार्ग-दर्शन के लिए उनकी आभारी हूँ। मैं धारक कंपनी, अपने ग्राहकों और कारोबारी सहयोगियों द्वारा दिए गए समर्थन की प्रशंसा करती हूँ। सभी स्तरों पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी कंपनी की मुख्य शक्ति बनी हुई है। हम भावी चुनौतियों का सामना करने और लाभप्रद विकास की गति बनाए रखने के लिए इन शक्तियों को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 18 अगस्त, 2021

भवदीया,
-हस्त.-
(आनंदी रामलिंगम)
अध्यक्ष

मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष कंपनी की **31वीं वार्षिक रिपोर्ट** पेश करते हुए खुशी हो रही है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित खातों के साथ-साथ इस अवधि के विभिन्न मैट्रिक्स में कंपनी के कार्य-निष्पादन को रेखांकित किया गया है।

1. वित्तीय झलकियाँ

कंपनी ने वर्ष के दौरान रु. 4075 लाख का विक्रयावर्त हासिल किया और रु. 490 लाख का लाभ अर्जित किया और रु. 444 लाख की कुल व्यापक आय अर्जित की।

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है –

रु. लाख में

विवरण	2020-2021	2019-20
कुल आय	5953	5690
मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर से पहले लाभ	2784	2606
वित्त लागतें	73	264
मूल्यह्रास	1999	2127
कर पूर्व लाभ	712	215
कराधान के लिए प्रावधान	222	(86)
वर्ष का लाभ	490	301
कुल व्यापक आय	444	37

2. लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2020-21 के लिए 30% के पी.ए.टी. के लाभांश की सिफारिश की है जो रु. 1.47 करोड़ बनता है।

3. प्रारक्षण को अंतरित राशि

वर्ष के लिए कंपनी के किसी भी प्रारक्षण को कोई राशि अंतरित करने का प्रस्ताव नहीं है।

4. आदेश बही की स्थिति

यथा 01.04.2020 को कंपनी की आदेश की स्थिति रु. 4.45 करोड़ की तुलना में यथा 01.04.2021 को रु. 16.04 करोड़ थी । वर्ष के दौरान कंपनी को रु. 52.31 करोड़ के आदेश प्राप्त हुए।

5. भावी दृष्टि

एक्सआर-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम अवस्था में है।

बेलॉप कारोबारी अवसरों में सुधार करने तथा अपने उत्पादों की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करने की भी योजना बना रही है। विविधीकरण के तहत, बेलॉप ने विमानन होज़ का निर्माण करने के लिए 3 फरवरी 2021 को मे. रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, रूस के साथ ऑफसेट संविदा पर हस्ताक्षर किया।

6. सरकार के साथ एमओयू

बेलॉप ने अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। आपके निदेशक आपको सूचित करते हैं कि वर्ष (2019-20) के लिए कंपनी के कार्य-निष्पादन को 'साधारण' रेटिंग प्रदान की गई है ।

7. वित्त

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आपकी कंपनी ने वृद्धिशील कार्यशील पूँजी तथा अवसंरचना के कोटि उन्नयन तथा पूँजीगत उपकरणों पर अतिरिक्त निवेश के लिए अपनी निधि संबंधी आवश्यकताएँ मुख्य रूप से आंतरिक संसाधनों से पूरी की । नकदी प्राप्तियों की गहन निगरानी तथा प्रभावी नकद प्रबंधन के माध्यम से उधार को कम किया गया । बीईएल भी इक्विटी लाते हुए और ऋण द्वारा एक्सआर-5 परियोजना की लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है । बेलॉप की योजना आंतरिक प्रोद्भवन द्वारा निवेश करने और विमानन होज़ परियोजना का वित्त-पोषण करने के लिए निधियां उधार लेने की है।

8. क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2020-21 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग।

[आईसीआरए]एए+ की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है। ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं। दोनों ही रेटिंग 31 अक्तूबर 2021 तक वैध हैं। इन रेटिंग से कंपनी को संघीय बैंकों से प्राप्त की जा रही विभिन्न कार्यशील पूँजी सुविधाओं को बेहतर शर्तों में प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

9. जमा

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कोई जमा नहीं है, इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5) (v) और (vi) के तहत प्रकटण लागू नहीं होते हैं।

10. अनुसंधान एवं विकास (अनु. व वि.)

निर्माणी विभागों के अनुभवी कार्यपालकों के साथ मिलकर कंपनी का डी एंड ई विभाग उत्पाद, प्रक्रिया तथा निर्माणी एवं जाँच उपकरणों के कोटि उन्नयन की ओर अनेक विकास कार्य की पहल कर रहा है।

वर्ष के दौरान, अनु. व वि. टीम ने नीचे उल्लिखित विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप किए –

- मौजूदा डिज़ाइन में एक इलेक्ट्रॉनिक घटक के अप्रचलन से बचने के लिए वैकल्पिक डिज़ाइन से ऑटोगेटेड पावर सप्लाई यूनिट का थोक निर्माण करना,
- इमेज इंटेन्सीफायर प्रणाली (परा बैंगनी संवेदनशील) की डिज़ाइन। इस प्रणाली के रणनीतिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हैं,
- शीतलित थर्मल इमेजर अनुप्रयोगों के लिए देवार असेंबली की डिज़ाइन।
- उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण, कंपनी ने अतिरिक्त उत्पादों की पहचान करने और कंपनी के विद्यमान उत्पादों की बाज़ार की संभावना में सुधार करने की ओर प्रगति की है। कंपनी निर्माण और आपूर्ति में बेहतर उत्पाद गुणता तथा अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों का कोटि उन्नत करने की भी प्रक्रिया में कार्यरत है।

कंपनी अपनी सक्षमताओं और कौशल का उपयोग करते हुए नए उत्पाद विकसित करने के भी प्रयास कर रही है।

11. मानव संसाधन

31 मार्च 2020 को 133 कार्मिकों की तुलना में 31 मार्च 2021 को आपकी कंपनी में 131 कार्मिक नियोजित थे। इनमें से 34 कार्यपालक और 5 महिला कर्मचारी हैं। वर्ष के दौरान कोई नियुक्ति नहीं की गई। वर्ष के दौरान एक कर्मचारी ने इस्तीफा दिया और एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ।

12. औद्योगिक संबंध

गैर-कार्यपालकों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 1 अप्रैल 2017 से देय है। सीपीएसई में गैर-कार्यपालकों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वेतन पुनरीक्षण वार्ताकार समिति और कामगार यूनियन के बीच वार्ता को अंतिम रूप दिया गया और वर्ष के दौरान बकाया राशि का भुगतान किया गया।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे।

13. पर्यावरण प्रबंधन

बेलॉप अपने परिसरों के आसपास स्वच्छ परिवेश और हरा-भरा पर्यावरण बनाए रखती है । कंपनी सख्त प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार, शून्य निस्सारी उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, हानिकारक तथा अपशिष्ट के अन्य रूपों के प्रणालीबद्ध प्रबंधन तथा निपटान के उपाय भी करती है ।

मंडल के रिपोर्ट के *अनुलग्नक-1* में संधारणीयता रिपोर्ट में पर्यावरण प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है।

14. गुणता

कंपनी ने क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 और ईएमएस आईएसओ 14001:2015 मानकों के आधार पर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली शुरु की । कंपनी ने जनवरी 2019 में मे. टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया (प्रा.) लि., पुणे से क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 और ईएमएस आईएसओ 14001:2015 मानकों के आधार पर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणीकरण कराया है। 2020-21 के दौरान वार्षिक चौकसी लेखा परीक्षा की गई और उक्त प्रमाणीकरण को संपुष्ट किया गया।

15. संरक्षा

कंपनी में अपने कार्मिकों, संयंत्र और मशीनरी की संरक्षा के लिए एक संरचित व्यवस्था है । संरक्षा समिति नियमित आधार पर संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और संरक्षा कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए -

- ❖ आईएस: 14489-1998 के अनुसार संरक्षा लेखा परीक्षा।
- ❖ अग्नि संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनिट-II में अग्निशमन यंत्र, स्मोक डिटेक्टर, मैनुअल कॉल प्वाइंट और फायर अलार्म हूटर की खरीद और संस्थापना।
- ❖ बिजली की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग पिट की संस्थापना। - 04 नग
- ❖ अग्नि संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईएस: 2190:2010 के अनुसार एचपीटी और अग्निशमन यंत्रों की भराई – 39 नग
- ❖ उत्पादन क्षेत्रों में लगभग 100 वर्ग मीटर की ईएसडी फ्लोरिंग का प्रावधान।
- ❖ सभी संरक्षा उपकरणों की आवधिक जाँच, कर्मचारियों को पीपीई का वितरण।
- ❖ कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण।

16. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों के ब्यौरे

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी को अर्जित नहीं किया या उसमें विनिवेश किया।

17. सतर्कता व्यवस्था स्थापित करने संबंधी प्रकटण

सतर्कता व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) और (10) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए, उक्त प्रकटण की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

18. सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीईएल द्वारा वर्ष 2012-13 से बेलॉप के लिए एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई । सतर्कता विभाग नियमित आधार पर खरीद, ठेकों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है, नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करता है और उसे संदर्भित किसी संदिग्ध लेनदेन की जाँच-पड़ताल करता है । कोई भी कर्मचारी या तृतीय पक्षकार किसी संदिग्ध लेन-देन के बारे में जाँच-पड़ताल कराने हेतु सतर्कता अधिकारी को सूचित कर सकते हैं ।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा । कंपनी के सभी कार्यपालकों ने अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी (ए.पी.आर.) आज्ञापक तारीख से पहले दाखिल की और 2018-22 की ब्लॉक अवधि के लिए 66% ए.पी.आर. की छानबीन की गई । दिनांक 31.03.2021 तक नियमित जांच किए गए। 01.04.2020 से 31.03.2021 तक 41 नियमित और 25 आकस्मिक निरीक्षण किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जाँच-पड़ताल के तहत कोई मामला लंबित नहीं है ।

19. निष्ठा संधि

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रापण संबंधी कार्यकलापों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के ठेकों में निष्ठा संधि प्रारंभ करने की पहल की है । रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, बेलॉप को रु. 300 लाख और इससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों / ठेकों के लिए सभी विक्रेताओं / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं के साथ एक निष्ठा संधि करना आवश्यक है । बहरहाल, अक्तूबर 2020 के दौरान बेलॉप के मंडल ने रु. 200 लाख से अधिक के सभी आदेशों के संबंध में निष्ठा संधि करना और उसकी रिपोर्ट बीईएल, सी.ओ. के सतर्कता विभाग को करना अनिवार्य बनाया है। अक्तूबर 2020 के बाद रु. 200 लाख से अधिक का कोई क्रय आदेश नहीं है ।

20. आर.टी.आई. अधिनियम का कार्यान्वयन

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यथा निर्दिष्ट, कुछेक कार्यपालकों को जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी मनोनीत किया है । वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी को आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ और निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना प्रदान की गई।

21. निदेशालय

श्रीमती आनंदी रामलिंगम को 7 सितंबर, 2020 को आयोजित कंपनी की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 और संस्था के अंतर्नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, श्री दिनेश कुमार बत्रा चक्रानुक्रम पर सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनःनियुक्ति हेतु प्रस्तुत करते हैं।

22. मंडल की बैठकें / निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान मंडल की चार बैठकें आयोजित हुईं जिनके विवरण कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का भाग बनते हैं ।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशालय तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में परिवर्तन के विवरण नीचे दिए गए हैं-

क्र.सं.	निदेशक / केएमपी का नाम	पदनाम	नियुक्ति/ कार्यमुक्ति की तारीख	टिप्पणी
1	श्री एलेक्जांडर कोशी	निदेशक	01.08.2020 को कार्यमुक्त	उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, बेलॉप के मंडल में निदेशक के रूप में उनका नामांकन बीईएल द्वारा वापस लिया गया। वे 01 अगस्त, 2020 से कंपनी के निदेशक नहीं हैं।
2	श्री महेश वी	निदेशक	01.09.2020 को कार्यमुक्त	उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, बेलॉप के मंडल में निदेशक के रूप में उनका नामांकन बीईएल द्वारा वापस लिया गया। वे 01 सितंबर, 2020 से कंपनी के निदेशक नहीं हैं।
3	श्री दिनेश कुमार बत्रा	निदेशक	07.08.2020 को नियुक्त	बीईएल द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार प्रारंभिक रूप से अपर निदेशक नियुक्त। उन्हें दिनांक 07.09.2020 को हुई 30वीं एजीएम में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया।
4	श्री शिवकुमारन के एम	निदेशक	10.09.2020 को नियुक्त	बीईएल द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार अपर निदेशक नियुक्त

श्री डीसीएन श्रीनिवास राव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्रीमती प्रिया अय्यर, कंपनी सचिव और श्री पी सरकार, मुख्य वित्त अधिकारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) में परिभाषित अनुसार केएमपी हैं।

श्रीमती प्रिया अय्यर दिनांक 25.06.2020 तक कंपनी सचिव और मुख्य वित्त अधिकारी थीं और श्री पी सरकार को दिनांक 26.06.2020 को मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया। श्रीमती प्रिया अय्यर कंपनी सचिव बनी हुई हैं।

23. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी में वित्तीय वर्ष के दौरान कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, इसलिए, स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा लागू नहीं होती है।

24. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जहाँ तक आपके निदेशकों की जानकारी और विश्वास है और उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के परिप्रेक्ष्य में आपके निदेशक निम्नलिखित वक्तव्य देते हैं-

क) कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण प्रकटणों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है ;

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को अपनाया और उन्हें स्थिरतापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं जो उचित और दूरदर्शी हैं और वित्तीय वर्ष के अंत पर कंपनी के कार्यकलापों तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ पर उचित और न्यायसंगत दृष्टि प्रदान करते हैं ;

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है ;

घ) कि निदेशकों ने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;

ङ) कि सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ विद्यमान और समुचित हैं और वे प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं;

च) कि सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं, समुचित हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

25. उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों, न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसा कोई उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो लाभप्रद और सक्रिय कारोबार की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करेगा ।

26. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ जो 31 मार्च, 2021 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुए हैं, कुछ नहीं हैं ।

27. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के तारतम्य में, वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स नातू एंड पाठक, सनदी लेखाकार, पुणे को नियुक्त किया है । वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई ।

28. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सीएजी प्रमाण-पत्र

लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2020-21 के लेखों की लेखा परीक्षा की है और उनकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में रखी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई अर्हता, प्रारक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या दावात्याग नहीं किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की "शून्य" टिप्पणी की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दी गई है।

29. सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए श्री योगेश कांदलगांवकर, पेशेवर कंपनी सचिव को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। श्री योगेश कंडलगांवकर द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट *अनुलग्नक 2* में दी गई है।

30. कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन

बेलॉप ने कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। श्री अभिजीत दखावे, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर दी गई रिपोर्ट *अनुलग्नक 3* में संलग्न की गई है। आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्पोरेट अभिशासन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए "अत्युत्तम" रेटिंग दी गई है।

31. लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

32. लागत अभिलेख

चूंकि कंपनी का कुल कारोबार ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्दिष्ट राशि से कम है, उक्त प्रकटण की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

33. लेखा परीक्षा समिति

बेलॉप में लेखा परीक्षा समिति है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में अनिवार्य बनाए कार्य करती है। अनुलग्नक 4 में कार्पोरेट अभिशासन पर दी गई रिपोर्ट में सदस्यों की उपस्थिति के साथ-साथ, लेखा परीक्षा समिति के संघटन के बारे में विस्तार से दिया गया है।

34. संबंधित पक्षकार के लेनदेन

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके संबंधियों के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन नहीं किया गया जिससे कंपनी के हित का संभावित संघर्ष हो । संबंधित पक्षकार के लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए, स्वतंत्र व निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए । संबंधित पक्षकार के सभी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और साथ ही मंडल के समक्ष अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, हेतु रखे गए हैं। सदस्यगण संबंधित पक्षकारों के लेनदेन के विवरण के लिए लेखों की टिप्पणियां देखें। फार्म एओसी-II के ब्योरे अनुलग्नक 5 में दिए गए हैं।

35. ऋण / गारंटियाँ / निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटियों, निवेशों के विवरण 'कुछ नहीं' हैं।

36. वार्षिक विवरणी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक विवरणी की प्रति वेब-लिंक https://www.belop-india.in पर फार्मेट एमजीटी-7 में उपलब्ध कराई जाएगी।

37. पारिश्रमिक नीति

मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति का मसौदा तैयार किया है । इसके विवरण *अनुलग्नक 4* में कार्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

38. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

39. लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (2) के तहत केंद्र सरकार को की जाने वाली रिपोर्ट के अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई, इसलिए, उक्त प्रकटण की आवश्यकता नहीं है।

40. प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

केंद्र सरकार के उद्यम (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों (डीपीई) के अनुसार प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ *अनुलग्नक 6* में दी गई है।

41. कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ *अनुलग्नक 4* में दी गई है।

42. जोखिम प्रबंधन

जोखिमों से निपटने के लिए किए गए उपाय कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में उल्लिखित हैं।

43. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, यह संस्तुति की गई है कि कंपनी सीएसआर संबंधी कार्यकलाप करेगी और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत खर्च सीएसआर पहलों पर करेगी।

कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के नियम 8 के तारतम्य में, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट, *अनुलग्नक 7* में दी गई है।

44. संधारणीयता रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "संधारणीय विकास" पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित, "संधारणीय विकास" पर कंपनी के प्रयासों पर एक अलग अध्याय इस रिपोर्ट के ***अनुलग्नक 4*** में दिया गया है ।

45. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक नियम), 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारी सूचना के विवरण

चूंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), दिनांक 05.06.2015 के तारतम्य में धारा 197 की प्रकटण संबंधी आवश्यकता लागू नहीं होती है ।

46. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटण

कंपनी समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है और निरंतर ऐसा कार्य परिवेश निर्मित करने का प्रयास करती है जिसमें सभी कर्मचारियों का सम्मान किया जाता है। कंपनी ने यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

47. अन्य प्रकटण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम), जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना, जो ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित है, ***अनुलग्नक 8*** में दी गई है ।

48. शेयरों का उप-विभाजन

वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी के इक्विटी शेयरों का उप-विभाजन रु. 100/- प्रति शेयर से रु. 10/- प्रति शेयर किया है।

49. कोविड-19 का प्रभाव

कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के सरकारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए, बेलॉप दिनांक 23.03.2020 से 17.05.2020 तक बंद रही। उक्त बंद अवधि के कारण, निर्माण संबंधी सभी कार्यकलाप बंद रहे, बहरहाल, चूंकि कंपनी के पास पहली तिमाही में कोई प्रमुख आदेश नहीं थे, राजस्व पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा और बेलॉप को कोविड-19 महामारी के कारण अपने कार्यकलापों में किसी बड़े व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा।

50. आभार

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेषकर रक्षा सेवाएँ और परा सैन्य बलों और साथ ही, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन की सराहना करते हैं और भविष्य में उनके सतत् समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करते हैं । आपके निदेशक बेलॉप में टीओटी के कार्यान्वयन के लिए मे. फोटोनिस द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की भी सराहना करते हैं और भविष्य में सार्थक सहयोग जारी रहने की आशा करते हैं । आपके निदेशक विमानन होज के निर्माण के लिए ऑफसेट संविदा को अंतिम रूप देने के लिए मे. रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के सहयोग की भी सराहना करते हैं आने वाले वर्षों में उनके सफल सहयोग की आशा करते हैं। आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखा परीक्षा मंडल के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकर और विक्रेताओं के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सच्चे प्रयासों की सराहना करते हैं जिसके कारण आपकी कंपनी वर्ष के दौरान अच्छा कार्य-निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनी । आपके निदेशक धारक कंपनी, मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करते हैं और आगामी वर्षों में कंपनी की संधारणीय प्रगति में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग की आशा करते हैं।

मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
-हस्त-
(आनंदी रामलिंगम)
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 18 अगस्त 2021

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. **1**

संधारणीयता रिपोर्ट

भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 3(9)-2010-डीपीई (एमओयू) दिनांक 23 सितंबर 2011 द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए संधारणीय विकास पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीपीई के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, "संधारणीय विकास" को "ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। संधारणीय विकास में आर्थिक कार्य, समाज की प्रगति और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति सहनशील और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है।

बेलॉप जो कि आईएसओ 14001:2004 प्रमाणित कंपनी है, संवृद्धि के साथ पर्यावरण को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने परिसरों में हरित वातावरण बनाए रखती है और इसने पर्यावरणीय संबंधी विभिन्न प्रबंध पद्धतियों को कार्यान्वित किया है।

संधारणीय विकास पहल

वायु में उत्सर्जन

प्रक्रमों से होने वाले वायु उत्सर्जन को समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वायु उत्सर्जन के स्टेक की निगरानी तिमाही आधार पर वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुसार की जाती है।

जल प्रबंधन

एमपीसीबी के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने उपयुक्त स्थलों पर पानी के मीटर लगाए हैं और दैनंदिन आधार पर पानी की खपत की निगरानी करती है।

ध्वनि प्रदूषण

कारखाने के परिसरों में ध्वनि प्रदूषण को एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार तिमाही आधार पर मापा जाता है।

जल प्रदूषण

ईटीपी संयंत्र में औद्योगिक निस्सारी का उपचार किया जाता है और एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उसे निपटाया जाता है। कंपनी ने निस्सारी के उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) भी स्थापित किया है और पुन:चक्रित पानी का इस्तेमाल बगीचों में किया जाता है।

हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

कंपनी अपने हानिकारक अपशिष्टों का निपटान हानिकारक अपशिष्ट नियम, 2008 के अनुसार एमपीसीबी के प्राधिकृत रिसाइक्लर को करती है। प्रत्येक वर्ष फार्म IV में नियमित विवरणियाँ पेश की जाती हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने हानिकारक पदार्थों की खपत और पर्यावरण पर उसके प्रभाव को कम करने के लिए निर्माणी प्रक्रियाओं में प्रयुक्त कुछेक हानिकारक पदार्थों का पुन:उपयोग करने के प्रयास किए हैं। बेलॉप ने रद्दी की बिक्री करने के लिए एम.एस.टी.सी. के साथ एक बिक्री एजेंसी करार किया है।

स्थल पर आपात योजना और प्रणालियाँ

स्थल और कंपनी भर में छद्म अभ्यास आवधिक रूप से संचालित की जाती है और कारखाने के परिसरों में प्रमुख स्थलों पर स्थल पर आपात योजना प्रदर्शित की जाती है।

पारिस्थितिकी संधारणीयता

कंपनी वृक्षारोपण तथा हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 2

फार्म सं. एम.आर.-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड,
ई.एल. 30, जे ब्लॉक, एम.आई.डी.सी. भोसारी, पुणे 411026

मैंने **बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड (सीआईएन - U32100PN1990GOI058096)** (जिसे यहाँ इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सुशासन की पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। उक्त सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि इससे मुझे कार्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपने विचार व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा दाखिल की गई विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुझे दी गई जानकारियों के आधार पर तथा अनुलग्नक के रूप में इसके साथ लगे अलग पत्र स्वरूप मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी के पास, दिनांक **31 मार्च 2021** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान सूचीबद्ध प्रावधानों के साथ तथा यह मानते हुए कि कंपनी की अपनी एक प्रचलित समुचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं नियम अनुपालन व्यवस्था है-

मैंने **31 मार्च 2021** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा दाखिल विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है : -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके तहत बनाए गए नियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्य उधार (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यह कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋण नहीं लिया है) के बारे में उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के तहत वर्णित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है –

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति जारी करना और उनका सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(छ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009; तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

(vi) मुझे दी गई जानकारी के अनुसार, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर कोई अन्य विधि विशेष रूप से लागू नहीं होती है।

मैंने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है -

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (एसएस-1 और एसएस-2)।

मैंने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है –

(i) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों तथा भारतीय प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ किए गए सूचीकरण करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है -

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत् गठित है। चूँकि कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, कंपनी के सभी निदेशक बीईएल द्वारा नामित किए जाते हैं। निदेशक मंडल के संघटन में हुए परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किए गए।

सभी निदेशकों को मंडल की बैठक, कार्यसूची पर विचार करने के लिए पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यसूची के विस्तृत बिंदु अग्रिम रूप से, कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है।

मंडल की बैठकों तथा समिति की बैठकों के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, मंडल या मंडल की समिति का कोई भी सदस्य बैठक में पारित किसी भी संकल्प पर असहमत नहीं है।

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में ऐसी समुचित प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं जो लागू विधि, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन की मानीटरी करने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप हैं।

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान –

(क) निदेशक मंडल ने 25 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को अधिकार आधार पर रु. 100/- प्रत्येक के 64438 इक्विटी शेयर आवंटित किया जिससे चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु. 83,86,25,900/- से बढ़कर रु. 84,50,69,700/- हुई।

(ख) कंपनी ने 7 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने इक्विटी शेयर के रु. 100/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य से रु. 10/- प्रति शेयर के उप-विभाजन को अनुमोदित किया।

(ग) कंपनी अपनी विविधीकरण योजना के तहत विमानन होज़ के निर्माण के लिए औद्योगिक सुविधा स्थापित करने के लिए मे. रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, रूस के साथ ऑफसेट संविदा (विदेशी प्रौद्योगिकी करार) किया है।

हस्त/-
योगेश कांदलगांवकर
कंपनी सचिव
एफसीएस 6197, सी.पी. नं. 20316
यूनीक डाक्यूमेंट आइटर्डेंटिफिकेश नंबर (यूडीआईएन) - **F006197C00415265**
स्थान - पुणे
दिनांक – 3 जून, 2021

इस रिपोर्ट को मेरे इसी दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुलग्नक के रूप में दिया गया है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,
सदस्यगण,
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड,
ई.एल. 30, जे ब्लॉक, एम.आई.डी.सी. भोसारी, पुणे 411026

इसी दिनांक की मेरी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों को रखना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपना विचार व्यक्त करने की है।

2. मैंने ऐसी लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। इनका सत्यापन जांच आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हो सकें। मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा अनुसरित प्रक्रिया और पद्धतियाँ मेरे विचार के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहां कहीं आवश्यक था, मैंने विधि, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन के विचार प्राप्त किए हैं।

5. कार्पोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा परीक्षण जांच आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित था।

6. यह सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न कंपनी के भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही ऐसे प्रभाव या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलाप किए हैं।

7. कोविड-19 महामारी की मौजूदा परिस्थिति के कारण, यह लेखा परीक्षा कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए गए अभिलेखों / सूचना के ऑनलाइन सत्यापन और परीक्षण के आधार पर की गई है।

हस्त/-
योगेश कांदलगांवकर
कंपनी सचिव
एफसीएस 6197, सी.पी. नं. 20316
यूनीक डाक्यूमेंट आइटडेंटिफिकेश नंबर (यूडीआईएन) - **F006197C00415265**

स्थान - पुणे
दिनांक - 3 जून, 2021

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 3

कार्पोरेट अभिशासन का प्रमाण-पत्र

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्य

मैंने केंद्र सरकार के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए **बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड (सीआईएन – U32100PN1990GOI058096)** ("कंपनी") द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

विचार

मेरे विचार से तथा जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में वर्णित अनुसार, कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का पालन किया है।

बहरहाल, कंपनी ने अभी पर्याप्त संख्या में कार्यशील निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त नहीं किया है जिसके कारण कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों (कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के सीपीएसई के अनुपालन के आधार पर केंद्र सरकार के उद्यमों (सीपीएसई) की ग्रेडिंग के फार्मेट के संबंधित खंड 1.1, 1.2, 2.1 (ii और iii), 2.4 (iii) और 3.1 (ii और iii) का अनुपालन नहीं हुआ है और कंपनी ने कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के खंड 3.7 के तहत यथा अपेक्षित मंडल के सदस्यों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं (कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के सीपीएसई के अनुपालन के आधार पर केंद्र सरकार के उद्यमों (सीपीएसई) की ग्रेडिंग के फार्मेट का संबंधित खंड 1.8(i) को निर्दिष्ट करने की नीति नहीं बनाई है।

सूचित किया गया है कि सभी सीपीएसई में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है जो सीपीएसई की अनुसूची में वर्गीकृत हैं। बहरहाल, कंपनी ने ऐसे वर्गीकरण के लिए आवेदन किया है और आवेदन रक्षा मंत्रालय में लंबित है। बताया गया है कि कंपनी के वर्गीकरण के बाद उक्त कार्यशील और स्वतंत्र निदेशकों को रिक्तियों को सरकार भरेगी। चूंकि बेलॉप के मंडल के निदेशक धारक कंपनी यानी बीईएल से हैं, उन्हें धारक कंपनी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए, इस संबंध में कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई है।

मैं यह सूचित करता हूँ कि ऐसा अनुपालन न कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसे प्रभाव या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलाप किए हैं।

उपयोग पर प्रतिबंध

यह प्रमाण-पत्र एकमात्र रूप से उक्त विनियमों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ जारी किया गया है और यह किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

हस्त/-
अभिजीत दाखवे
कंपनी सचिव
एफसीएस 6126,
सी.पी. नं.# **4474**
यूडीआईएन - **F006126C000009338**

स्थान - पुणे
दिनांक – 2 अप्रैल, 2021

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 4

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

बेलॉप के कार्पोरेट अभिशासन का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, समुचित प्रकटण, विधिक अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा हित संघर्ष का निवारण करने के सिद्धांतों पर आधारित है। बेलॉप ग्राहक तुष्टिकरण, वित्तीय दूरदर्शिता एवं मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता में विश्वास करती है। हमारी कार्पोरेट संरचना, कारोबार तथा प्रकटण की पद्धतियाँ हमारे कार्पोरेट अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप हैं।

निदेशक मंडल

संघटन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, बेलॉप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी है और एक 'सरकारी कंपनी' है।

वर्तमान में, निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित चार निदेशक हैं। बीईएल के मंडल के अध्यक्ष ही मंडल तथा बेलॉप के अध्यक्ष हैं। चारों निदेशक (बेलॉप के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार) बीईएल द्वारा नामित किए जाते हैं।

निदेशक मंडल का संघटन नीचे दिया गया है –

क) श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष (30.06.2021 तक)	सीएमडी, बीईएल एवं अध्यक्ष, बेलॉप
ख) श्रीमती आनंदी रामलिंगम, अध्यक्ष (01.07.2021 से)	सीएमडी, बीईएल एवं अध्यक्ष, बेलॉप
ग) श्री दिनेश कुमार बत्रा (07.08.2020 से)	निदेशक (वित्त), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
ग) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 तक)	निदेशक (वित्त), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
घ) श्री शिवकुमारन के एम (10.09.2020 से)	निदेशक (एच.आर.), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
ङ) श्री महेश वी (31.08.2020 तक)	निदेशक (अनु. व वि.) बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
च) श्री एम वी राजशेखर (30.07.2021 से)	निदेशक (अनु. व वि.) बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप

बैठकें एवं उपस्थिति

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल 96 दिनों का था। मंडल की बैठकें दिनांक 25.06.2020, 23.07.2020, 29.10.2020 और 20.01.2021 को आयोजित की गईं। 2020-21 के दौरान मंडल की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा धारित अन्य कंपनियों में निदेशक के ओहदे / समिति की सदस्यता की संख्या संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

क्र.सं.	निदेशक	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	मंडल की बैठकों की संख्या जिनमें शामिल हुए	7 सितंबर, 2020 को हुई पिछली एजीएम में उपस्थिति	धारित अन्य निदेशक पद*	सभी कंपनियों में समिति की सदस्यता की संख्या	
	अंशकालिक निदेशक					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री एम वी गौतमा	4	4	हाँ	1	कोई नहीं	कोई नहीं
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	4	4	हाँ	2	0	2
3	श्री दिनेश कुमार बत्रा	2	2	हाँ	2	2	1
4	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	2	2	नहीं	3	2	1
5	श्री शिवकुमारन के एम	2	2	नहीं	1	0	1
6	श्री महेश वी	2	2	नहीं	1	0	2

*केवल लेखा परीक्षा समिति तथा पणधारकों की संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है।

आचार संहिता

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई के दिशा-निर्देश) द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए कार्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है। मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2020-21 के दौरान इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा जो अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्टानुसार तीन निदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक तथा आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में शामिल होते हैं। कंपनी सचिव इस लेखा परीक्षा समिति के सचिव हैं। लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष दिनांक 7 सितंबर, 2020 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हुए। लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथा विनिर्दिष्ट तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं -

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटण का पर्यवेक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सूचना सही, समुचित और विश्वसनीय हैं।
- तिमाही लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना।
- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की संस्तुति करना।
- वित्तीय तथा प्रचालनीय कार्य-निष्पादन पर प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- कंपनी की प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तथा सरकार और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना।
- कंपनी के मुख्य वित्तीय जोखिम उद्भासनों तथा ऐसे उद्भासनों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना और उन पर चर्चा करना।
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षाओं में देखी गई उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्षों, की गई सिफारिशों और उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना।
- संबंधित पक्षकार के ऐसे लेन-देन तथा उन पर किए गए अनुवर्ती संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करना।
- अंतर-कार्पोरेट ऋणों और निवेशों की छानबीन करना।
- जहाँ आवश्यक हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें दिनांक 25.06.2020, 23.07.2020, 29.10.2020 और 20.01.2021 को हुईं।

लेखा परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार है -

1) श्री दिनेश कुमार बत्रा (07.08.2020 से)	अध्यक्ष
2) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 तक)	अध्यक्ष
3) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	सदस्य
4) श्री शिवकुमार के एम (10.09.2020 से)	सदस्य
5) श्री महेश वी (31.08.2020 तक)	सदस्य

उक्त बैठकों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उपस्थिति के विवरण नीचे दिए गए हैं -

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	4	4
श्री दिनेश कुमार बत्रा	2	2
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	2	2
श्री शिवकुमारन के एम	2	2
श्री महेश वी	2	2

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिमों की निरंतर पहचान करने, अद्यतन करने, मूल्यांकन करने, उनकी प्राथमिकता तय करने और प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक 'जोखिम प्रबंधन ढांचा' व्यवस्थित है। इस ढांचे के तहत, शीर्षस्त स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित है जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बेलॉप) द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन और इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों से होते हैं। जोखिम चैम्पियन (आरसी) वरिष्ठ उ.म.प्र. स्तर के अधिकारी होते हैं। आरएमसी तिमाही आधार पर संपूर्ण कंपनी में जोखिम प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा करती है। आरएमसी तिमाही आधार पर प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करती है । कंपनी आरएम की स्थिति की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर मंडल को करती है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) श्री शिवकुमारन के एम (10.09.2020 से)	अध्यक्ष
2) श्री महेश वी (31.08.2020 तक)	अध्यक्ष
3) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	सदस्य
4) श्री दिनेश कुमार बत्रा (07.08.2020 से)	सदस्य
5) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 तक)	सदस्य

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, एनआरसी समिति की बैठक चार बार यानी दिनांक 25.06.2020, 23.07.2020, 29.10.2020 और 20.01.2021 को हुई।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	4	4
श्री दिनेश कुमार बत्रा	2	2
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	2	2
श्री शिवकुमारन के एम	2	2
श्री महेश वी	2	2

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कुछेक कार्य इस प्रकार हैं –

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों /दिशा-निर्देशों के अनुसार मंडल को नीति की सिफारिश करना।
- वेतन संबंधी सभी मामलों की सिफारिश मंडल को करना।

पारिश्रमिक नीति

क) निदेशकों का पारिश्रमिक

बेलॉप जब कभी आवश्यक हो, निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित करेगी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संप्रेषित, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में होंगे ।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक

बेलॉप मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक तय करते समय निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित करेगी -

(i) कंपनी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगी ।

(ii) निर्धारित पारिश्रमिक का स्तर और संघटन औचित्यपूर्ण और समुचित होगा ताकि कंपनी को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कर्मचारियों को आकृष्ट, प्रतिधारित और प्रेरित किया जा सके ।

(iii) पारिश्रमिक का स्तर उचित निर्देश-चिह्नन को पूरा करेगा और उसमें कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के बीच स्पष्ट संबंध होगा ।

(iv) पारिश्रमिक में नियत वेतन और प्रोत्साहन वेतन उस न्यायिक अनुपात में शामिल होगा जो कंपनी के कामकाज के अनुकूल हो और कंपनी को उसके अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो ।

निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक अदा नहीं करती है । कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए स्टॉक का विकल्प नहीं दिया है ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तारतम्य में, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) के विचारणीय विषय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं –

क) मंडल को कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार कर उसकी सिफारिश करना जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्टानुसार कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप दर्शित किए गए हों ।

ख) खंड 'क' में संदर्भित कार्यकलापों को करने पर उपगत होने वाले खर्च की राशि की सिफारिश करना

ग) कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	अध्यक्ष
2) श्री दिनेश कुमार बत्रा (07.08.2020 से)	सदस्य
3) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 तक)	सदस्य
4) श्री शिवकुमारन के एम (10.09.2020 से)	सदस्य
5) श्री महेश वी (31.08.2020 तक)	सदस्य

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की बैठकें चार बार यानी दिनांक 25.06.2020, 23.07.2020, 29.10.2020 और 20.01.2021 को हुई।

बैठकों में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	4	4
श्री दिनेश कुमार बत्रा	2	2
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	2	2
श्री शिवकुमारन के एम	2	2
श्री महेश वी	2	2

विभिन्न सीएसआर कार्यकलापों के विवरण *अनुलग्नक 7* में दिए गए हैं।

निदेशकों का शेयरधारण

यथा 31.03.2021 को कंपनी के कोई भी निदेशक कंपनी का इक्विटी शेयर धारित नहीं करते।

अन्य मंडल की उप-समितियाँ

आपके निदेशकों ने मंडल की निम्नलिखित उप-समितियाँ गठित की हैं -

निवेश समिति जिसमें अल्पकालीन अधिशेष निधियों के निवेश को अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष, दो निदेशक, सीईओ तथा वित्त प्रमुख शामिल होते हैं ।

संबंधित पक्षकारों के लेनदेन

संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए और स्वतंत्र व्यवहार की मूल्य निर्धारित नीति के आधार पर किए गए।

सामान्य निकाय की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं -

वर्ष	स्थान	तारीख और समय
2017-18	पंजीकृत कार्यालय	20 सितंबर 2018, दोपहर 14.30 बजे
2018-19	पंजीकृत कार्यालय	9 सितंबर 2019, दोपहर 13.00 बजे
2019-20	वीसी द्वारा	7 सितंबर 2020, सुबह 10.00 बजे

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों की संबंधित नोटिसों में निर्धारित, विशेष संकल्पों सहित सभी संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए। पिछले वर्ष कोई भी संकल्प डाक मतदान द्वारा नहीं किया गया।

प्रकटण

(क) कंपनी ने ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार का लेनदेन नहीं किया है जिससे व्यापक तौर पर कंपनी के हितों का कोई संभावित संघर्ष होता हो। फिर भी, संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों को वार्षिक रिपोर्ट में लेखों की टिप्पणी सं. 39 के बिन्दु सं. 7 में प्रकट किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए ऐसा अन्य कोई व्यय नहीं किया गया, जो प्रकृति से निजी है।

(ग) कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उसके लिए प्रासंगिक व्यय तथा कर्मचारियों / पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण की ओर किए गए खर्च को छोड़कर, व्यय की कोई भी मद लेखा बहियों में नामें नहीं की गई।

(घ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालयीय व्यय तथा उसमें वृद्धि, यदि कोई हो, के कारण -

पिछले वर्ष के 2.46% के समक्ष वर्ष 2020-21 में प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय कुल व्ययों का 1.70% रहा।

एमसीए-21 का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 1956 (एमसीए-21) को कार्यान्वित करने में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल में सार्वजनिक, कार्पोरेट स्वत्वों तथा अन्य लोगों को कार्पोरेट सूचना तक आसान और सुरक्षित ऑनलाइन पहुँच प्रदान किया गया है जिसमें दस्तावेजों की फाइलिंग तथा किसी भी समय और कहीं से भी, संविधि के तहत सार्वजनिक प्रक्षेत्र में रहने के लिए अपेक्षित सूचना तक सार्वजनिक पहुँच शामिल है। कंपनी ने 2020-21 के दौरान एमसीए-21 के तहत सभी आज्ञापक ई-फाइलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

राष्ट्रपति के निर्देश एवं दिशा-निर्देश

कंपनी को अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति के निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों का अक्षरत: और भावत: पालन करना होता है। कंपनी ने अ.जा. / अ.ज.जा. और अ.पि.व. के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति सहित राष्ट्रपति के उक्त निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है।

यथा 31 मार्च 2021 को शेयरधारण की प्रविधि

क्र.सं.	वर्ग	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	8,45,06,970	100.00

यथा 31 मार्च 2021 को सर्वोच्च 10 शेयरधारक

क्र.सं.	वर्ग	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8,45,06,970	100.00

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2020-21 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल प्लस कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग।

दीर्घकालीन रेटिंग की दृष्टि 'स्थिर' है। ये 31 अक्तूबर, 2021 तक वैध हैं।

सीईओ/ सीएफओ का प्रमाणीकरण

डीपीई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, सीईओ/सीएफओ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और उसे लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष पेश किया गया है और इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

अनुपालन

कंपनी डीपीई को कार्पोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट पेश करती आ रही है।

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीपीएसई का श्रेणीकरण इन दिशा-निर्देशों पर उनके अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए "अत्युत्तम रेटिंग" प्रदान की गई है।

पंजीकृत कार्यालय / पत्राचार का पता

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि.
पंजीकृत कार्यालय - ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे- 411 026
फ़ोन - (020) 27130981/2/3/4; फैक्स- (020) 27130589; ई-मेल - info@belop.co.in

---

घोषणा

डीपीई के का.ज्ञा. सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दिए गए अनुसार, केंद्र सरकार के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तारतम्य में, कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के मंडल के सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित कारोबारी आचार संहिता एवं नीति का अनुपालन संपुष्ट किया है।

कृते बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

-हस्त-
(आनंदी रामलिंगम)
अध्यक्ष

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक – 18 अगस्त 2021

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 5

फार्म सं. ए.ओ.सी.-II

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा
कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संबंधित पक्षकार जिसमें उसके तृतीय शर्त के तहत निष्पक्ष पक्षकार के लेनदेन भी शामिल हैं, के संबंध में कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / करार के विवरण प्रकटण करने का फार्म –

1. ऐसी संविदाओं या करारों अथवा लेनदेनों के विवरण जो स्वतंत्र पक्षकार आधार के तहत नहीं आते -
   (क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
   (ख) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति - लागू नहीं
   (ग) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि - लागू नहीं
   (घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों की प्रमुख बातें - लागू नहीं
   (ङ) ऐसी संविदा या करार अथवा लेनदेन करने का औचित्य - लागू नहीं
   (च) मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तारीख - लागू नहीं
   (छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि हो - लागू नहीं
   (ज) धारा 188 की पहली शर्त के तहत यथा अपेक्षित, सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख - लागू नहीं

2. स्वतंत्र पक्षकार आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों के विवरण

   (क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
   (ख) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति - लागू नहीं
   (ग) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि - लागू नहीं
   (घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों की प्रमुख बातें- लागू नहीं
   (ङ) मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तारीख - लागू नहीं
   (च) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि हो - कोई नहीं

मंडल के लिए व उसकी ओर से

-हस्ता.-
(आनंदी रामलिंगम)
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 18 अगस्त 2021

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 6

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क) उद्योग की संरचना और विकास, शक्तियाँ, कमज़ोरियाँ, सुअवसर एवं जोखिम तथा संधारणीय कार्य-निष्पादन तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए किए गए और योजित प्रमुख पहल

(क) अर्थव्यवस्था, उद्योग की सामान्य जानकारी जिसमें कंपनी कार्य करती है, बाजार की दशाएँ तथा ये कंपनी पर कैसे प्रभाव डालती हैं, कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;

1930 की भारी मंदी के बाद से वर्ष 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में सबसे खराब मंदी का दौर लाया है। इसके कारण वैश्विक व्यापार में अत्यधिक गिरावट आई, वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई और चालू खाता शेषों और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर बदलते प्रभावों के साथ अधिक सख्त बाहरी वित्तीय परिस्थितियां पैदा हुईं।

वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड-19 के रूप में संकट का सामना किया जिसने सरकार को लॉकडाउन करने को बाध्य किया जिससे देश के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय कार्यकलाप प्रभावित हुए। इस अवरोध के कारण अर्थव्यवस्था संकुचित हुई और जीडीपी की पहली तिमाही उल्लेखनीय रूप से संकुचित हुई।

महामारी जनित संकट के कारण जीडीपी के लगभग 13% हिस्से में व्यापक प्रोत्साहन प्रोग्राम शुरु करने की आवश्यकता हुई। 2020-21 में राजकोषीय घाटा भी 3.5% से बढ़कर 9.5% हो गया।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ.) के अनुसार, अर्थव्यवस्था 2019-20 में 4.2% की प्रगति की तुलना में 2020-21 में 7.7% तक वास्तविक जीडीपी के संकुचित होने की संभावना व्यक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के अग्रिम प्राक्कलन 2020-21 में वी-आकार की लचीली पुन:प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। 2020-21 में महामारी के कारण प्राक्कलित 7.7 प्रतिशत संकुचन के बाद, भारत का वास्तविक जीडीपी में 2021-22 में 11.0 प्रतिशत और 15.4 प्रतिशत के नाममात्र जीपीडी की प्रगति दर्ज करने का अनुमान है। बहरहाल, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रभाव निकट भविष्य में देखना होगा।

भारत ने 2020-21 की पहली छमाही में 3.1% जीडीपी का चालू लेखा अधिशेष दर्ज किया है जो मुख्य रूप से सेवा निर्यात के कारण है। बहरहाल, यह अनुमान बाहरी मांग के सामान्य होने के लिए वैश्विक कोविड-19 की दृष्टि पर निर्भर है।

(ख) एस डबल्यू ओ टी विश्लेषण

❖ शक्तियाँ –

- उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का स्वदेशी निर्माण करने के लिए अत्युन्नत प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता ।
- दो दशकों से अधिक का अनुभव जिससे इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूबों के क्षेत्र में उत्कृष्ट ज्ञान और मुख्य सक्षमताएँ प्राप्त हुईं।
- ग्राहकों, विशेषकर भारतीय रक्षा मंत्रालय को की गई दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के कारण सारभूत पूंजी निवेश द्वारा मज़बूत समर्थन ।
- बेलॉप ने आई.आई.टी. आधारित सभी पैसिव नाइट वीज़न डिवाइसों के लिए आई.आई.टी. अनुमोदित क्रेता द्वारा नामित उपकरण का निर्माण किया।
- क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 और ईएमएस आईएसओ 14001:2015 पर आधारित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित।
- विविधीकरण के लिए नई परियोजनाओं हेतु धारक कंपनी से वित्तीय सहयोग।
- विभिन्न परियोजनाओं के लिए नई अवसंरचना स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध
- किसी अन्य उपकरण को न्यूनतम प्रशिक्षण के साथ निर्मित करने के लिए उपलब्ध जनशक्ति पूरी तरह तत्पर।

♣ कमज़ोरियाँ –

- विविधीकृत उत्पाद श्रृंखला की कमी, एकल उत्पाद पर निर्भरता।
- प्रमुख कच्चा माल और घटक (आर एम तथा सी) देश में उपलब्ध नहीं । आरएम तथा सी के लिए आयात प्रतिस्थापन की आपूर्ति करने के लिए स्वदेशी स्रोत विकसित करने हेतु अधिक तकनीकी प्रयासों की ज़रूरत।
- प्रौद्योगिकी का निरंतर अपग्रेडेशन करना।

♣ सुअवसर –

- बढ़ती रक्षा और सुरक्षा ज़रूरतें
- रक्षा एवं देश की आंतरिक सुरक्षा की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम 5-6 वर्षों के लिए उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का संभावित बाज़ार।
- केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर
- आत्मनिर्भर भारत पर सरकार के ज़ोर देने से नए और संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण के अवसर।
- ऑफसेट कारोबार के अवसर

♣ जोखिम –

- निजी कंपनियों से बढ़ती स्पर्धा
- उच्चतर विनिर्देश वाले आई.आई. ट्यूबों के लिए ग्राहकों की वरीयता
- रात्रि दर्शी प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन जिसके कारण अशीतलित थर्मल इमेजर की कम कीमतें।
- निजी क्षेत्र के अनुकूल नीतियों का बनाया जाना।

(ग) संधारणीय कार्य-निष्पादन एवं प्रगति सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रमुख पहल

क) प्रौद्योगिकी का कोटि उन्नयन एवं अनु. व वि.

बेलॉप ने दिसंबर 2014 से अपने ग्राहकों के लिए गहन विनिर्माण के माध्यम से एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों की आपूर्ति शुरु की है । कंपनी संस्थागत अनु. व वि. के माध्यम से अपनी निर्माणी तथा परीक्षण अवसंरचना की कोटि उन्नत करने के प्रयास भी कर रही है। भारतीय थलसेना द्वारा अधिक बेहतर कार्य-निष्पादन वाले ट्यूबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मे. फोटोनिस फ्रांस एसएएस, फ्रांस तथा उसकी संबद्ध कंपनी मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ एक टीओटी करार किया है । एक्सआर-5 परियोजना पूरी होने वाली है।

कंपनी ग्राहक के आदेश प्राप्त न होने / देरी से प्राप्त होने की अवधि के दौरान बिक्री बढ़ाने / स्थायी व्यय उपगत होने के जोखिम को कम करने के लिए संबद्ध / नए उत्पादों में विविधीकरण करने के सुनियोजित प्रयास भी कर रही है।
विविधीकरण की प्रक्रिया के तहत, कंपनी ने विमानन होज़ निर्मित करने के लिए मे. रोसोबोनएक्सपोर्ट, रूस के साथ एक ऑफसेट संविदा किया है और इस ऑफसेट संविदा की शर्तों के अनुसार, प्रौद्योगिकी मे. रोसोबोरोनएक्सपोर्ट द्वारा प्रदान की जाएगी।

(घ) जोखिम प्रबंधन, लागत कटौती तथा स्वदेशीकरण पर किए गए विशिष्ट उपाय

क) जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक संस्थापित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद, विपणन, मानव संसाधन, वित्त तथा अन्य प्रचालनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों के अभिचिह्नन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और उपचार का ढांचा तैयार किया गया है । कंपनी में जोखिमों के सतत् अभिचिह्नन, कोटि उन्नयन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और प्रबंधन के लिए एक 'व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा' मौजूद है । इस ढांचे के अंतर्गत शीर्षस्थ स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (बेलॉप) करते हैं और विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन एवं इंजीनियरी, वित्त और मा.सं. जैसे महत्वपूर्ण कार्यशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

जोखिम चैम्पियन (आरसी) वरिष्ठ उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होते हैं। आरएमसी तिमाही आधार पर समग्र रूप से कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रयासों की समीक्षा करती है। आरएमसी प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को तिमाही रिपोर्ट पेश करती है। कंपनी आरएम की स्थिति के बारे में मंडल को वार्षिक रूप से सूचित करती है।

कुछेक जोखिम जिन्हें पहचाना गया है, को उचित जोखिम प्रशमन प्रक्रियाएँ शुरु करते हुए निपटा जा रहा है। इसी तरह, किसी प्रमुख प्रबंधकीय निर्णय के मामले में, जोखिम के कारकों को उचित निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जाता है।

ख) लागत कटौती और स्वदेशीकरण

कंपनी के लागत कटौती के कार्यकलापों में निर्माणी और निर्माणेत्तर दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और उनमें उत्पादन, प्रशासन, वित्त, सेवाएँ आदि जैसे कारोबार के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। कंपनी ने निर्माणी और उप-ठेका के क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं जिससे गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है और इसके फलस्वरूप लागत में कटौती हुई है।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है जो उसके आकार तथा प्रचालनों की प्रकृति के अनुरूप है। इन्हें इस प्रकार तैयार किया गया है कि विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रचालनात्मक सूचना दर्ज और प्रदान करने, लागू संविधियों का अनुपालन करने, अप्राधिकृत इस्तेमाल या हानियों से परिसंपत्तियों की रक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने तथा समय-समय पर जारी कंपनी की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने की दृष्टि से उपाय किए जा सकें।

वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा की टीम द्वारा की गई।

आपकी कंपनी में एक लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करती है और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के प्रेक्षण पेश करती है। लेखा परीक्षा समिति कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है ताकि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, पर्याप्तता और कंपनी द्वारा अनुसरित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता सहित, वित्तीय विवरणों पर उनके विचार जानने के साथ-साथ, उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके वार्षिक रिपोर्ट में की जाती है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते बेलॉप की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सरकारी लेखा परीक्षा भी की जाती है।

ग) वित्तीय / प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

<u>क. रणनीति एवं उद्देश्य</u>

कंपनी की वित्तीय रणनीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(i) कम से कम उधार लेने और फलस्वरूप कम से कम ब्याज लागत के लिए प्रभावी नकदी प्राप्ति प्रबंधन द्वारा निधियाँ उपलब्ध कराना।

(ii) आवश्यकता पड़ने पर किफायती दरों में निधि जुटाने में सक्षम बनने के लिए अल्प काल में सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना।

(iii) कर योजना प्रभावी ढंग से करना ताकि कर के बाद की प्राप्ति में सुधार हो।

(iv) विभिन्न पणधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना।

(v) आज्ञापक लेखा मानकों का अनुसरण करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के उच्चतम मानकों को बनाए रखना।

प्रत्येक सूचीबद्ध उद्देश्य को बेलॉप द्वारा लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने बाहरी उधार का आश्रय लिए बिना, आंतरिक संसाधनों से कार्यशील पूँजी का ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने तथा पूँजीगत व्यय का वित्त-पोषण करने का प्रयास किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने धारक कंपनी से प्राप्त कार्यशील पूँजीगत ऋण के एक हिस्से का आंशिक चुकतान भी किया।

2. कार्य-निष्पादन की झलकियाँ

रु. लाख में

विवरण	2020-21	2019-20
सकल विक्रय	4075	3721
वित्त लागतों से पहले कुल व्यय	5168	5211
वित्त लागत व कर पूर्व लाभ	785	479
प्रचालनीय मार्जिन (पीबीआईटी/सकल विक्रय) अनुपात %	19.26	12.87
कर पश्चात् लाभ	490	301
वस्तुसूची के दिनों की सं. / उत्पादन का मूल्य (डीपीई विधि)	371	311
दिनों की सं. – व्यापार से प्राप्त/ आवर्त	78	7
चालू अनुपात	1.97	1.35
ऋण साम्या अनुपात	-	0.42

3. 2020-21 के वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण

- विक्रयावर्त जो 2019-20 में रु. 3721 लाख था, 9.51% बढ़कर 2020-21 में रु. 4075 लाख हुआ।
- उत्पादन का मूल्य जो 2019-20 में रु. 4954 लाख था, रु. 1378 लाख घटकर 2020-21में रु. 3576 लाख हुआ।
- पी.ए.टी. जो 2019-20 में रु. 301 लाख था, 62.79% बढ़कर 2020-21 में रु. 490 लाख हुआ।
- 2020-21 में पी.ए.टी. से विक्रयावर्त का अनुपात 12.02% है।
- प्रति कर्मचारी विक्रयावर्त जो 2019-20 में रु. 28 लाख था, 7.14% बढ़कर 2020-21 में रु. 30 लाख हुआ।
- प्रति शेयर अर्जन रु. 0.58 है।
- निवल मालियत जो 2019-20 में रु. 23528 लाख थी, 2.23% तक बढ़कर 2020-21 में रु. 24052 लाख हुई।

घ) मानव संसाधन विकास

कंपनी ने कुल 284.13 श्रम दिवसों के लिए तकनीकी और गुणता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जो प्रति कर्मचारी औसतन 2.16 श्रमदिवस परिकलित होता है।

ङ) अमूर्त परिसंपत्तियों का लेखांकन

क. अमूर्त परिसंपत्तियां

तुलन-पत्र में गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्शित रु. 10925 लाख की अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं.3) में एक्सडी-4 परियोजना के लिए उपगत रु. 10924 लाख के लाइसेंस शुल्क शामिल हैं। इन लाइसेंस शुल्कों को 15 वर्ष की अवधि (लाइसेंस करार की अवधि) में परिशोधित किया जा रहा है। एक्स-डी परियोजना को 74.30% की सीमा तक रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित किया गया था। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और प्रारंभिक रूप से आस्थगित आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। आस्थगित आय में रखी राशि को सरकार से प्राप्त अनुदान की सीमा तक कुल मंजूर लागत के वित्त-पोषण के अनुपात में, संबंधित परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास / परिशोधन के यथानुपात में लाभ व हानि के विवरण में जमा करने के लिए प्रत्येक वर्ष अंतरित किया जाता है।

ख. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

तुलन-पत्र में गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्शित रु. 8564 लाख की विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी सं. 4) में एक्सआर-5 परियोजना के लाइसेंस शुल्क शामिल हैं। एक्सआर-5 परियोजना समापन के अंतिम चरण में है जिसे एक्सआर-5 करार की अवधि में पूंजीकृत और परिशोधित किया जाएगा।

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 7

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर मंडल की रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त जानकारी-

   i) बेलॉप कार्पोरेट स्वत्व के रूप में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझती है और समुदाय जिसमें यह अपना कामकाज करती है, में सीएसआर पहल द्वारा सामाजिक और आर्थिक विकास में भाग लेने का निरंतर प्रयास करती है।

   ii) बेलॉप आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय ढंग से सीएसआर कार्यकलाप, जो पारदर्शी और नैतिक हैं, करने के लिए अपने पणधारकों के लिए प्रतिबद्ध है।

   iii) सीएसआर कार्यकलापों में ऐसे प्रयास शामिल होंगे जो संधारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित हैं।

2. सीएसआर समिति का संघटन -

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान हुई सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए
1	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	अध्यक्ष	4	4
2	श्री दिनेश कुमार बत्रा (07.08.2020 से)	सदस्य	2	2
3	श्री कोशी एलेक्ज़ांडर (31.07.2020 तक)	सदस्य	2	2
4	श्री शिवकुमारन के एम (10.09.2020 से)	सदस्य	2	2
5	श्री महेश वी (31.08.2020 तक)	सदस्य	2	2

3. कंपनी की वेबसाइट का संबंधित वेब-लिंक दें जिसमें मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति का संघटन, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं के विवरण हैं। https://belop-india.in/csr.html

4. कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3), यदि लागू हो, के तारतम्य में की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)। लागू नहीं

5. कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के तारतम्य में प्रतितुलन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए प्रतितुलन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, के विवरण दें। शून्य

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के लिए प्रतितुलन करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रु. में)	पिछले वित्तीय वर्ष से प्रतितुलन के लिए उपलब्ध राशि (रु. में)
1	2020-21	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ - रु. 11,45,63,824

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत- रु. 22,91,276

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या प्रोग्राम या कार्यों का अधिशेष शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए प्रतितुलन की जाने वाली राशि, यदि कोई हो शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष की कुल सीएसआर देयता (7क+7ख-7ग) रु. 22,91,276

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या न की गई सीएसआर राशि -

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (रु. में)	खर्च न की गई राशि (रु. मे)				
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते को अंतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची **VII** के तहत निर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि	तारीख	निधि का नाम	राशि	तारीख
शून्य	22,91,276	30.04.2021	-	-	-

नोट – उक्त राशि के अलावा, रु. 43,13,302 की राशि जो वर्ष 2018-19 और 2019-20 से संबंधित है, दिनांक 30.04.2021 को अव्ययित सीएसआर खाते को अंतरित की गई।

(ख) वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं के समक्ष खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची **VII** में दिए गए कार्यों की सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना स्थल		परियो-जना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते को अंतरित राशि	कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीयन सं.
1	प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	शिक्षा का प्रचार	हां	महाराष्ट्र	पुणे	3 वर्ष	66,04,578	शून्य	66,04,578	हां	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल							**66,04,578**	-	**66,04,578**			

(ग) वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि - लागू नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुसूची **VII** में दिए गए कार्यों क सूची का मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीयन सं.
---------- लागू नहीं ----------									

(घ) प्रशासनिक ऊपरीव्ययों में खर्च की गई राशि शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, पर खर्च की गई राशि लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ-8ङ) शून्य

(छ) प्रतितुलन के लिए अतिरेक राशि, यदि कोई हो शून्य

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	22,91,276
(ii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई अतिरेक राशि [(ii)-(i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या प्रोग्राम या कार्यों का अधिशेष, यदि को हो	शून्य
(v)	अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में प्रतितुलन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की खर्च न की गई सीएसआर राशि के विवरण

क्र.सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते को अंतरित राशि (रु. मे)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची **VII** के तहत निर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि, यदि कोई हो,			अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च किए जाने हेत शेष राशि (रु. में)
				निधि का नाम	राशि (रु. में)	अंतरण की तारीख	
1	2019-20	15,69,677	शून्य	लागू नहीं	शून्य	31.03.2021	15,69,677
2	2018-19	27,43,625	शून्य	लागू नहीं	शून्य	31.03.2021	27,43,625
	कुल	**43,13,302**					**43,13,302**

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्त वर्ष जिसमें परियोजना शुरु की गई	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति पूरी की गई / चालू
1.		प्राथमिक विद्यालय का निर्माण	2018-19	3 वर्ष	66,04,578	शून्य	शून्य	चालू
कुल					**66,04,578**	शून्य	शून्य	

10. पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित करने या अर्जित करने के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर की राशि द्वारा इस प्रकार सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण दें (परिसंपत्ति-वार विवरण) लागू नहीं

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन की तारीख लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि लागू नहीं

(ग) स्वत्व या सरकारी प्राधिकारी या हितलाभी के विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि लागू नहीं

(घ) सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति के विवरण दें (पंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता, स्थान सहित) लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च नहीं की है तो उसका कारण बताएं ।

कंपनी अपने औसत लाभ का दो प्रतिशत नहीं खर्च कर सकी क्योंकि महामारी के पहले लहर के कारण स्कूल के निर्माण का काम शुरु करने से पहले आवश्यक अनुमोदन लेने में देरी हुई। इस बीच, ग्राम पंचायत ने भी सूचित किया कि उन्हें स्कूल के निर्माण के लिए अधिक बड़ी ज़मीन आबंटित की जाएगी। खेड़ ग्राम पंचायत, चंदोली, खेड़ तालुक, पुणे जिला में स्कूल के निर्माण के लिए स्कूल प्रबंध समिति, जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय चंदोली के साथ जून 2021 के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उक्त स्कूल के निर्माण के लिए ठेकेदार को ठेका प्रदान किया गया।

हस्ता./- हस्ता./-

डीसीएन श्रीनिवास राव
(मुख्य कार्यकालन अधिकारी)

आनंदी रामलिंगम
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक – 18 अगस्त, 2021

मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक सं. 8

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना

क. ऊर्जा संरक्षण

i) वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए ऊर्जा संरक्षण के उपाय

वर्ष के दौरान कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण संबंधी कोई उपाय नहीं किए।

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय

वर्ष के दौरान कंपनी ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के कोई उपाय नहीं किए।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश

वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर कोई पूँजीगत निवेश नहीं किया गया।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन तथा नवोन्मेष की ओर किए गए प्रयास, संक्षेप में

- एक्सआर-5 ट्यूबों का निर्माण करने की टीओटी परियोजना पूरी होने को है। टीओटी के प्रमुख सोपान प्राप्त कर लिए गए हैं।

ii) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुलाभ

- ग्राहकों को आई.आई. ट्यूबों, टाइप एक्सआर-5 के उच्च कार्य-निष्पादन की सुपुर्दगी करने के लिए स्वदेशी निर्माण के कार्यान्वयन का कार्य चालू।
- बेहतर उत्पादकता, प्रक्रम की निरंतरता और प्रक्रम डेटा प्राप्त करने की अवसंरचना का कोटि उन्नयन जिसके कारण समग्र ग्राहक तुष्टिकरण प्राप्त हुआ और विद्यमान परिसंपत्तियों का जीवनकाल बढ़ा।

iii) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना

भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित कार्य-निष्पादन वाले ट्यूबों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, कंपनी ने एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मई, 2014 के दौरान मे. फोटोनिस एसएएस, फ्रांस और उसकी सहायक संस्था मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ वृद्धिशील टीओटी किया है। एक्सआर-5 परियोजना समापन की ओर है।

iv) अनु. वि. पर खर्च

कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग रु. 12 लाख का खर्च किया।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना के कारण विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय संबंधी कोई प्रकटण नहीं किया गया।

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण – 31 मार्च 2021

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण

- तुलन-पत्र
- लाभ व हानि का विवरण
- नकदी प्राप्ति विवरण
- इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2021 का तुलन-पत्र

रु. लाख में

सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	परिसंपत्तियाँ			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	5,944	6,672
	(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	5,090	5,085
	(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	10,925	12,175
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	8,564	8,513
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) व्यापार प्राप्य	5	-	-
	(ii) ऋण	6	36	36
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	22	75
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	21	-	134
	(छ) वस्तुसूचियाँ	8	-	-
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	588	577
	उप कल गैर चाल परिसंपत्तियाँ [(क) से (ज)]		**31,169**	**33,267**
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) वस्तुसूचियाँ	10	3,639	4,222
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) व्यापार प्राप्य	11	1,031	74
	(ii) नकद व नकद समतुल्य	12	1,492	2,625
	(iii) बैंक शेष (उपर्युक्त (ii) के अलावा)	13	330	265
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	29	20
	(ग) चाल कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	218	270
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	16	114	369
	उप कुल चालू परिसंपत्तियाँ [(क) से (घ)]		**6,853**	**7,845**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**38 022**	**41,112**
	इक्विटी और देयताएँ			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	8,451	8,386
	(ख) अन्य इक्विटी		15,601	15,142
	उप कल इक्विटी ((क) + (ख))		**24,052**	**23,528**
	देयताएँ			
(1)	**गैर-चालू देयताएँ**			
	(क) वित्तीय देयताएँ			
	(i) उधार	18	-	99
	(ख) सरकारी अनुदान - आस्थगित	19	10,006	11,307
	(ग) प्रावधान	20	459	370
	(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	21	36	-
	उप कल गैर-चाल देयताएँ ((क) से (घ))		**10,501**	**11,776**
(2)	**चालू देयताएँ**			
	(क) वित्तीय देयताएँ			
	(i) उधार	22	-	-
	(ii) व्यापार देय	24		
	क) सूक्ष्म उद्यमों व लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		139	25
	ख) सूक्ष्म उद्यमों व लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय		249	513
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	724	1,983
	(ख) सरकारी अनदान – आस्थगित	23	1,315	1,328
	(ग) अन्य चालू देयताएँ	26	262	44
	(घ) प्रावधान	27	780	1,915
	(ङ) चाल कर देयताएँ (निवल)	28	-	-
	उप कल चाल देयताएँ ((क) से (ङ))		**3,469**	**5,808**
	उप कुल देयताएँ (1+2)		**13,970**	**17,584**
	कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**38,022**	**41,112**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डबल्यू

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक – 14 जून 2021

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
शिवकुमारन के एम
निदेशक

-हस्ता-
पी सरकार
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक – 4 जून 2021

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

रु. लाख में

सं.	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
I	प्रचालनों से राजस्व	29	5,880	5,487
II	अन्य आय	30	73	203
III	**कुल आय (I+II)**		**5,953**	**5,690**
IV	**व्यय**			
	क) खपत सामग्री की लागत	31	1,078	2,058
	ख) तैयार माल, मार्गस्थ स्टॉक और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	32	456	(1,233)
	ग) कर्मचारी अनुलाभ व्यय	33	1,223	1,409
	घ) वित्त लागत	34	73	264
	ङ) मूल्यह्रास और ह्रास व्यय	35	1,999	2,127
	च) तकनीकी सहायता शुल्क	36	-	250
	छ) अन्य व्यय	37	412	600
	कुल व्यय (IV) ((क) से (छ))		**5,241**	**5,475**
V	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III -IV)		712	215
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V-VI)		712	215
VIII	कर व्यय -			
	(i) चालू कर		67	-
	(ii) पिछले वर्ष के कर		-	(52)
	(iii) आस्थगित कर		155	(34)
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		222	(86)
IX	वर्ष का लाभ (VII-VIII)		490	301
(X)	अन्य व्यापक आय			
(क)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(64)	(264)
	(ii) उक्त पर आय कर का प्रभाव		18	-
(ख)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	वर्ष की अन्य व्यापक आय, कर का निवल (क+ख)		(46)	(264)
(XI)	अवधि की कुल व्यापक आय(IX+X)(जिसमें इस अवधि का लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)		444	37
(XII)	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन			
	(1) मूल	38(1)	0.58	0.40
	(2) परिवर्तित		0.58	0.40

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डब्ल्यू

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक – 14 जून 2021

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
शिवकुमारन के एम
निदेशक

-हस्ता-
पी सरकार
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक – 4 जून 2021

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव

01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि की नकदी प्राप्ति का विवरण

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति		
कर पूर्व लाभ	712	215
इनके लिए समायोजन -		
मूल्यह्रास एवं ह्रास व्यय	1,999	2,127
ब्याज की आय	(71)	(193)
वित्त लागत	73	264
सरकारी अनुदानों का ह्रास - आस्थगित	(1,315)	(1,338)
निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(64)	(264)
ऋण के उचित मूल्यांकन का समायोजन	19	20
परिचालित परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन		
व्यापार प्राप्यों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	(957)	882
वस्तुसूचियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	584	(1,256)
व्यापार प्राप्यों में बढ़ोत्तरी / (कमी)	(150)	43
अन्य वित्तीय देयताओं में बढ़ोत्तरी / (कमी)	(103)	(1,448)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	44	8
अन्य गैर-चालू परिसंत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	(11)	423
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/ कमी	255	(85)
प्रावधानों में बढ़ोत्तरी / (कमी)	(1,046)	(198)
अन्य चालू देयताओं में बढ़ोत्तरी / (कमी)	218	(463)
परिचालनों से / में (प्रयुक्त) नकदी प्राप्ति	187	(1,263)
अदा किया गया आय कर	17	(451)
असाधारण मदों से पहले नकदी प्राप्ति	-	-
परिचालन कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (क)	204	(1,714)
निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति -		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(26)	(137)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(51)	(1,497)
मीयादी जमा में निवेश	(65)	2,177
प्राप्त ब्याज	71	193
निवेश संबंधी कार्यकलापोंसे / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (ख)	(71)	736
वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति		
उधार से प्राप्ति / (चुकतान) – मीयादी ऋण	(1,266)	(700)
उधार से प्राप्ति / (चुकतान) – कार्यशील पूँजी	-	(622)
वित्त लागत	(73)	(264)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	-	(513)
अदा किया गया लाभांश (निवल टीडीएस)	(84)	-
शेयर जारी करने से हुई प्राप्ति	157	2,833
वित्त संबंधी कार्यकलापोंसे / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति - (ग)	(1,266)	734
नकद व नकद समतुल्यों में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी) ((क)+(ख)+(ग))	(1,133)	(244)
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	2,625	2,869
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	1,492	2,625
नकदी प्राप्ति विवरण के अनुसार नकद व नकद समतुल्य का समाधान		
उपर्युक्त के अनुसार नकद व नकद समतुल्य का समाधान जिसमें निम्न शामिल है -		
नकद व नकद समतुल्य (टिप्पणी 12)	1,492	2,625
नकदी प्राप्ति विवरण के अनुसार शेष	1,492	2,625

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डब्ल्यू

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक – 14 जून 2021

-हस्ता-
दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक

-हस्ता-
शिवकुमारन के एम
निदेशक

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

-हस्ता-
पी सरकार
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक – 4 जून 2021

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

रु. लाख में

01.04.2020 को शेष		टिप्पणी सं.	वर्ष के दौरान इक्विटी पूँजी में परिवर्तन		31.03.2021को शेष	
शेयरों की सं.	राशि		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
8,38,62,590	8,386	17	6,44,380	64	8,45,06,970	8,451

ख. अन्य इक्विटी

रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष		अन्य व्यापक आय की मदें	अन्य प्रारक्षण	कुल इक्विटी
		प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिधारित अर्जन			
1 अप्रैल 2020 को शेष		8,879	6,458	(408)	213	15,142
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी करना		92	-	-	-	92
वर्ष का लाभ		-	490	-	-	490
वर्ष की अन्य व्यापक आय (निवल कर)		-	-	(46)	-	(46)
बाज़ार दर से कम में उधार लेने के कारण पूँजी अंशदान		-	-	-	14	14
31 मार्च 2021 को शेष		**8,971**	**6,948**	**(454)**	**227**	**15,692**
लाभांश	17	-	(91)	-	-	**(91)**
लाभांश वितरण कर	17	-	-	-	-	-
31 मार्च 2021 को शेष		**8,971**	**6,857**	**(454)**	**227**	**15,601**

1.प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए आदेश के अनुसार किया जाएगा।

2.प्रतिधारित अर्जन कंपनी के मुक्त प्रारक्षण हैं।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डबल्यू

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994
स्थान- पुणे
दिनांक - 14 जून 2021

-हस्ता-
दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक

-हस्ता-
शिवकुमारन के एम
निदेशक

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

-हस्ता-
पी सरकार
मुख्य वित्तीय अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक – 4 जून 2021

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

इस रिपोर्ट के साथ में दिए गए वित्तीय विवरणों में बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे (बेलॉप) (कंपनी) के वित्तीय विवरण दिए गए हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सरकारी कंपनी है और यह भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के पूर्व स्वामित्व की सहायक कंपनी है। यह कंपनी रक्षा प्रणालियों में प्रयोग किए जाने वाले इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब और संबंधित उच्च वोल्टता की पावर सप्लाई यूनिटों का निर्माण करती है।

1. तैयार करने का आधार तथा अनुपालन संबंधी विवरण

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। जीएएपी में आज्ञापक भारतीय लेखा मानक (भारतीय-एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है], जहाँ तक लागू हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं और इनका सतत् रूप से पालन किया गया है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस बात की आवश्यकता होती है कि प्रबंधन इस प्रकार के प्राक्कलन और मान्यताएँ करे जो वित्तीय कथनों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं, आकस्मिक देयताओं के प्रकटण तथा रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऐसे प्राक्कलन सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण तथा दूरदर्शी आधार पर किए गए हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं और ऐसे अंतरों को उस अवधि में निर्धारित किया गया है जिसमें परिणाम अभिनिश्चित किए गए हैं।

3. मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं के, जिन्हें उचित मूल्य में मापा गया है -

1. व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख, यदि कोई हो
2. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जो उनके उचित मूल्य में मापे जाने हेतु अर्हता प्राप्त हैं।
3. निर्धारित हितलाभ परिसंपत्ति/ देयता को निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में से योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर निर्धारित किया गया है।

4. कार्यशील तथा प्रचलित मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में दर्शाया गया है जो कंपनी की कार्यशील और प्रचलित मुद्रा है।

5. राजस्व का निर्धारण

क. <u>ग्राहकों के साथ की गई संविदा से राजस्व</u> -

i. राजस्व का निर्धारण तब (या वैसे) किया जाता है जब कंपनी ग्राहक को वायदे के अनुसार माल या सेवाएँ (जैसे कोई परिसंपत्ति) अंतरित करते हुए कार्य-निष्पादन देयता पूरी करती है।

ii. किसी समय बिंदु पर कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना

क. कंपनी राजस्व को किसी समय बिंदु पर निर्धारित करती है जब वह कार्य-निष्पादन संबंधी देयता को पूरी करती है।

ख. कार्य-निष्पादन देयता तब पूरी होती है जब ग्राहक परिसंपत्ति पर अपना नियंत्रण प्राप्त करता है। नियंत्रण के अंतरण के सूचक इस प्रकार होते हैं –

- कंपनी ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित कर दिया है।
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति का कानूनी अधिकार है।
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है।
- जब कंपनी के पास परिसंपत्ति के भुगतान करने का अधिकार मौजूद है।
- ग्राहक के पास परिसंपत्ति के स्वामित्व का उल्लेखनीय जोखिम और प्रतिफल है। उल्लेखनीय जोखिमों और प्रतिफल स्वामित्व के अंतरण का मूल्यांकन संविदा की शर्तों पर आधारित होता है।

कारखाना-बाह्य संविदा - कारखाना-बाह्य संविदा के मामले में, राजस्व को तब निर्धारित किया जाता है जब निर्दिष्ट माल को पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति, यदि आवश्यक हो, के बाद संविदा में बिना शर्त विनियोजित किया जाता है।

संविदाओं के लिए – एफओआर संविदाओं के मामले में, जब माल पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति, यदि निर्दिष्ट हो, के बाद खरीददार को पारेषण हेतु वाहक को सौंपा जाता है और एफओआर गंतव्य स्थल की संविदाओं के मामले में, यदि इस बात की औचित्यपूर्ण अपेक्षा हो कि माल लेखा अवधि के भीतर गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएगा। ग्राहक के अनुरोध पर माल को कंपनी में रखे जाने पर भी राजस्व को निर्धारित किया जाता है।

ग. बिल और अधिकार बिक्री

बिल और अधिकार बिक्री को तब निर्धारित किया जाता है जब निम्नलिखित सभी परिमापियां पूरी की जाती हैं-

- बिल और अधिकार बिक्री का कारण सारभूत हो
- उत्पाद को ग्राहक से संबंधित होने के लिए अलग से पहचाना जा सकता हो
- उत्पाद वर्तमान में ग्राहक को वास्तविक अंतरण के लिए तैयार हो
- कंपनी उत्पाद का उपयोग नहीं कर पा रही हो या उसे किसी दूसरे ग्राहक को देती हो

iii. मापन

क. राजस्व का निर्धारण कार्य-निष्पादन देयता को आबंटित लेनदेन कीमत की राशि पर किया जाता है।

लेनदेन कीमत प्रतिफल की वह राशि होती है जिसमें कंपनी यह अपेक्षा करती है कि वह तृतीय पक्षकारों की ओर से प्राप्त की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को वायदे अनुसार माल या सेवाएँ अंतरित करने लिए हकदार होगी।

कीमत में बढ़ोत्तरी या ई.आर.वी. के मामले में जहाँ अतिरिक्त प्रतिफल निर्धारित की जानी है और ग्राहकों द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक से पुष्टिकरण प्राप्त करने पर निर्धारित किया जाता है।

ख. जुर्माना

संविदा में निर्दिष्ट जुर्माने (सुपुर्दगी में देरी के लिए लिए जाने वाले निर्णीत हर्जाने सहित) को लेनदेन कीमत का अंतर्निहित भाग नहीं माना जाता है यदि इसकी उगाही ग्राहक की समीक्षा के अधीन होती है।

ग. उल्लेखनीय वित्त घटक

उल्लेखनीय वित्त घटकों का निर्धारण करने के लि रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिम को विचार में नहीं लिया जाता क्योंकि इसका उद्देश्य संविदाकार पक्षकारों की हितों की सुरक्षा करना होता है।

अन्य संविदाओं के संबंध में, उल्लेखनीय वित्त घटक की मौजूदगी की समीक्षा मामला दर मामला आधार पर की जाती है।

ख. अन्य आय

अन्य आय का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है –

i. ब्याज की आय

ब्याज की आय का निर्धारण प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

ii. अन्य आय

ऊपर विशिष्ट रूप से न बताई गई अन्य आय का निर्धारण प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

iii. शुल्क संबंधी कमियां

निर्यात पर शुल्क संबंधी कमियों के दावों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

6. वस्तुसूचियाँ

i) कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जे तथा मार्गस्थ माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है तथा माल की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया गया है।

ii) चालू कार्य का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। लागत में सामग्री की लागत और यथा लागू, रूपांतरण की लागत शामिल हैं।

iii) तैयार माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

7. मूल्यह्रास / ह्रास

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा पद्धति आधार पर किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित विधि से परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल का प्राक्कलन करती है। प्रबंधन का मानना है कि ये प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाते हैं जिसमें परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाना संभावित है।

जहाँ किसी परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत उसकी कुल लागत में उल्लेखनीय होती है और ऐसे भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल अलग से निर्धारित किया जाता है और ऐसे उल्लेखनीय भाग का मूल्यह्रास उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा विधि द्वारा किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

संयंत्र और मशीनरी की कुछेक मदों का मूल्यह्रास प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित उपयोगी जीवनकाल से अलग होते हैं।

परिशोधन

परिशोधन का परिकलन अमूर्त परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल में सीधी-रेखा विधि का प्रयोग करते हुए उनकी लागत को बट्टा खाते में डालने के लिए किया जाता है और आम तौर पर लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है। परिशोधन की विधियों, उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें समायोजित किया जाता है।

8. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कोई मद और उसका कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे प्रारंभ में अभिचिह्नित किया गया है, उसे निपटान करने पर या उसके प्रयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक हितलाभ अपेक्षित न हो, उसे अभिचिह्नित मदों से हटा दिया जाता है। परिसंपत्ति का अभिचिह्नित वर्ग से हटाने से होने वाले लाभ या हानि (निवल निपटान की प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ व हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

9. कर्मचारी अनुलाभ

(i) कर्मचारियों के सभी अनुलाभ जो संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह प्रदेय होते हैं, को अल्पकालीन कर्मचारी अनुलाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनमें मुख्यत: निम्नलिखित अनुलाभ शामिल होते हैं -

क) मजदूरी और वेतन; ख) अल्पकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ; ग) प्रोत्साहन एवं बोनस जिनका मूल्य-निर्धारण बट्टारहित आधार पर किया जाता है और जिन्हें ऐसी अवधि के दौरान अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) वार्षिक अवकाश जैसी दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और तुलन-पत्र में शामिल प्रावधान के वहनीय मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेंशन योजना की ओर निर्धारित अंशदान लागू दरों पर मासिक प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। अधिवार्षिता योजना के प्रति अंशदान लागू दरों पर वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(iv) उपदान – कर्मचारियों को उपदान के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य तथा इस प्रयोजनार्थ स्थापित अनुमोदित न्यास में वित्त-पोषित योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है।

(v) बीमांकक लब्धियाँ और हानियाँ तथा योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्त (ब्याज छोड़कर) तथा परिसंपत्ति की निर्दिष्ट सीमा के प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत अभिचिह्नित किया जाता है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्तियाँ) पर निवल ब्याज व्यय (आय) का परिकलन वर्ष के दौरान किए गए अंशदान और हितलाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को ध्यान में रखने के बाद, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) की माप करने में प्रयुक्त, बट्टागत दर लागू करते हुए किया जाता है।

जब किसी योजना के हितलाभों में परिवर्तन होता है या योजना को सीमित किया जाता है तो हितलाभ में इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन जो पिछली सेवा या योजना को सीमित करने पर लाभ या हानि से संबंधित होते हैं, उन्हें लाभ व हानि के विवरण में तत्काल अभिचिह्नित किया जाता है।

10. आयकर

आयकर में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं –

(i) चालू आय कर

चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को वसूली किए जाने योग्य अथवा कराधान प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। इस राशि का परिकलन करने में प्रयुक्त कर की दरें या कर नियम वे होते हैं जो अधिनियमित होते हैं या रिपोर्टिंग की तारीख में बाद में अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे अभिचिह्नित मदों से संबंधित चालू कर को इक्विटी में अभिचिह्नित किया जाता है, लाभ व हानि के विवरण में नहीं।

लाभ व हानि के विवरण से बाहर अभिचिह्नित मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ व हानि के विवरण से बाहर अभिचिह्नित किया जाता है।

(ii) आस्थगित कर

परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधार तथा रिपोर्टिंग की तारीख में वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ उनकी वहनीय राशियों के बीच के अस्थायी अंतरों पर तुलन-पत्र विधि का प्रयोग करते हुए आस्थगित कर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों, आगे ले जाने योग्य अप्रयुक्त कर क्रेडिटों तथा अप्रयुक्त कर हानियों, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि ऐसा करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है, के लिए अभिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है और इस सीमा तक की जाती है कि यह तब तक संभाव्य न हो कि सभी या आंशिक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनुमत करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

11. विदेशी मुद्रा के लेनदेन

विदेशी मुद्रा के संव्यवहारों को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उनकी संबंधित मुद्रा विनिमय दरों द्वारा दर्जकिया जाता है जिसमें ऐसे संव्यवहार अभिचिह्नित करने के लिए पहली बार अर्ह बनते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर पर रूपांतरित किया जाता है। आर्थिक मदों के निपटान या रूपांतरण से पैदा होने वाले अंतरों को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है। मौद्रिक – इतर मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है, उन्हें प्रारंभिक संव्यवहारों की तारीखों पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर का प्रयोग करते हुए रूपांतरित किया जाता है।

12. वायदा ठेके

विदेशी मुद्रा के जोखिम का बचाव करने के लिए प्रयुक्त व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख जैसे वायदा मुद्रा संविदाएँ, को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उचित मूल्य पर अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें ऐसा व्युत्पन्नी संविदा किया जाता है और तदुपरांत उचित मूल्य पर उनका दोबारा मापन किया जाता है। उचित मूल्य धनात्मक हो व्यत्पन्नी को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में आगे ले जाया जाता है और ऋणात्मक होने पर वित्तीय देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

13. उधार संबंधी लागतें

उधार की लागतें जो एक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं जो इसके आशयित प्रयोग या विक्रय के लिए तैयार होने में सारभूत समय लेती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। सामान्य उधार की लागतों को ऐसी परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर लागू करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों पर पूँजीकृत किया जाता है। पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधारों को छोड़कर, सामान्य बकाया उधार पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होता है। उधार की अन्य सभी लागतों को उपगत होने वाली अवधि में खर्च किया जाता है। उधार की लागतों में ऐसे ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल की जाती हैं जो एक स्वत्व निधियों के उधार लेने के संबंध में करता है। उधार की लागत में उधार की लागतों के समायोजन के रूप में होने वाले विनिमय दर अंतर भी शामिल होते हैं।

14. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, पूँजीगत चालू कार्य

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को प्रारंभ में लागत पर मूल्यांकित किया जाता है तदपुरांत उन्हें उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

इस प्रयोजनार्थ लागत में परिसंपत्ति को उसकी स्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए उपगत सभी लागत शामिल होती है। परिसंपत्ति काप्रयोग करने के बाद, उसका कार्यारंभ बंद करने की अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है, यदि इस प्रावधान संबंधी अभिचिह्नन मानदंड पूरे किए जाते हों।

पूँजीगत चालू कार्य

अचल परिसंपत्तियाँ, जो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं थीं, की लागत को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में प्रकट किया गया है।

पूँजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण ठेके, स्थल पर प्राप्त पूँजीगत आपूर्तियों का मूल्य तथा स्वीकृत पूँजीगत मार्गस्थ माल जो निरीक्षण के अंतर्गत हैं तथा ऐसी अचल परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख पर आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, की लागत शामिल हैं।

15. अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अर्जित लाइसेंस शुल्क, तकनीकी जानकारी जो भावी आर्थिक हितलाभ में परिणामित हुए, की लागत को, प्रयोग में तैयार होने पर लेखा बहियों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकास कार्य जो पूरे कर लिए गए हैं, जहाँ पात्र हैं, की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

चालू विकास कार्यों की लागत, यहाँ पात्र हैं, को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक तौर पर लागत पर और उसके बाद लागत में से संचित परिशोधन और संचयी अनर्जक हानि, यदि कोई हो, में से घटाकर मापा जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर या जब उसके उपयोग अथवा निपटान से कोई भावी आर्थिक अनुलाभ अपेक्षित न हो, विनिर्धारित किया जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों के विनिर्धारिण पर लब्धि या हानि, यदि कोई हो, को लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित किया जाता है।

16. तकनीकी जानकारी पर खर्च

तकनीकी जानकारी पर उपगत खर्च को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च स्वयं अलग से या किसी अन्य परिसंपत्ति / व्यय के संयोजन से, अमूर्त परिसंपत्ति / मूर्त परिसंपत्ति के भाग के रूप में अभिचिह्नित करने के योग्य न हो।

17. अनुसंधान व विकास पर खर्च

(i) अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों पर खर्च को उपगत होने वाली अवधि में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

(ii) विकास खर्च (विशिष्ट-सह-बिक्री संविदाएँ तथा विकासीय, परियोजनाओं के अलावा जो ग्राहक के अनुरोध पर किए जाते हैं) को उपगत होने पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है। विकास-सह-बिक्री संविदाओं पर विकासीय खर्च तथा ग्राहक के अनुरोध पर की गई विकासीय परियोजनाओं पर खर्च को अन्य बिक्री संविदाओं के समतुल्य माना जाता है।

जब ऐसी विकासीय परियोजनाएँ ग्राहक के आदेश में फलीभूत नहीं होती हैं तो ऐसी परियोजनाओं पर दर्ज कुल खर्च को ऐसी परियोजना के बंद करने वाले वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(iii) अन्य विकासीय कार्यकलाप (बाहरी एजेंसियों के सहयोग से किए गए संयुक्त विकास कार्य सहित) पर किए गए खर्च जहाँ किए गए अनुसंधान के परिणाम या प्राप्त अन्य ज्ञान को नए या वर्धित उत्पाद या प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है यदि भारतीय-एएस में निर्दिष्ट अभिचिह्नन मानदंड पूरे किए जाते हैं और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने योग्य हों, कंपनी के पास विकास कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और बाद में अमूर्त परिसंपत्ति का प्रयोग या विक्रय किया जा सकता हो औरऐसा उत्पाद या प्रक्रिया से भावी आर्थिक हितलाभ जनित करने की संभावना हो।

(iv) अचल परिसंपत्तियों पर अनु. व वि. व्यय को पूँजीकृत किया जाता है।

18. सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और प्रारंभिक रूप से आस्थगित आय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए सरकारी अनुदान की आरोप्य सीमा तक संबंधित परसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में लभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है।

राजस्व व्ययों के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को प्राप्त अनुदान की सीमा तक, कुल स्वीकृत लागत के लिए वित्त-पोषण के अनुपात में उपगत व्यय की सीमा तक लाभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है ।

19. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक अभिचिह्नन तथा मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य में अभिचिह्नित किया जाता है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है तो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण आने वाली संव्यवहार लागतों को परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार वर्गों में बांटा जाता है -

- परिशोधित लागत पर ऋण विलेख,
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) ऋण विलेख,
- लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर ऋण विलेख, व्युत्पन्नी तथा इक्विटी विलेख (एफवीटीपीएल),
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर इक्विटी विलेख (एफवीटीओसीआई)।

अभिचिह्नन हटाना

वित्तीय परिसंपत्ति या उसके किसी भाग को तब अभिचिह्नित से हटा दिया जाता है जब ऐसी परिसंपत्ति से नकदी प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

व्यापार से प्राप्तियाँ तथा अन्य प्राप्य राशि

प्राप्य राशियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर अभिचिह्नित किया जाता है जो ज्यादातर मामलों में नाममात्र मूल्य के लगभग होता है। यदि बाद में ऐसा कोई संकेत मिलता है कि ऐसी परिसंपत्तियाँ अनर्जक हो सकती हैं तो अनर्जकता के लिए उनकी समीक्षा की जाती है।

20. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हस्तस्थ नकद और मांग जमा राशियाँ शामिल होती हैं। नकदी समतुल्य अल्पकालीन अत्यंत चलनिधि के निवेश होते हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम की होती है और जिन्हें ज्ञात नकद राशि में तुरंत रूपांतरित किया जा सकता है जिसमें मूल्य में परिवर्तन करने के बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, का कम जोखिम होता है, तुलन-पत्र में चालू देयताओं के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

21. वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

भारतीय-एएस 109 के अनुसार, कंपनी क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र वाली वित्तीय परिसंपत्तियों में अनर्जकता हानि के मापन और अभिचिह्नन के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को अपनाती है।

क. सरकार / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से कालातीत देय राशियों का सामान्य रूप से ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में बढ़ोत्तरी नहीं माना जाता।

ख. जहाँ देय राशि कानूनी कार्यवाही के तहत विवाद में है तो मामले की अपील उच्चतर अधिकारियों / न्यायालयों में करने के बावजूद, कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिए जाने का भी प्रावधान किया जाता है ।

ग. उल्लेखनीय अवधि तक बकाया रहने वाली देय राशियों की समीक्षा की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रावधान किया जाता है।

अनर्जक हानि स्वीकृति (या व्युत्क्रमण) को लाभ या हानि के विवरण में व्यय / (आय) के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

22. वित्तीय देयताएँ

(i) प्रारंभिक अभिचिह्नन तथा मापन

वित्तीय देयताओं को ऋण, उधार, देय राशि या परिवर्त, जैसा उचित हो, के रूप में लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर प्रारंभिक अभिचिह्नन पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार या देय राशियों को निवल संव्यवहार लागतों पर दर्शाया जाता है।

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है –

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ।.

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ऐसी वित्तीय देयताएँ शामिल होती हैं जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक अभिचिह्नन करने पर निर्धारित की जाती हैं। इस वर्ग में कंपनी द्वारा किए गए ऐसे परिवर्ती वित्तीय विलेख भी शामिल किए जाते हैं जिन्हें भारतीय-एएस 109 में यथा परिभाषित, बचाव संबंध में बचाव विलेख नहीं माना जाता है। पृथक किए गए अंतर्निर्मित परिवर्तों को भी व्यापार में धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं माना जाता। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लब्धि या हानि को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है।

(iii) ऋण तथा उधार

प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, ब्याज वाले ऋणों तथा उधार को तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लब्धियों और हानियों को लाभ या हानि में तब अभिचिह्नित किया जाता है जब देयताओं कोई आईआर परिशोधन प्रक्रिया द्वारा अमान्य माना जाताहै।

एक वित्तीय देयता का अभिचिह्नन तब हटाया जाता है जब देयता के तहत बाध्यता पूरी कर ली जाती है या रद्द या समाप्त कर दी जाती है।

(iv) व्यापार तथा अन्य देय राशियाँ

पूर्तिकर्ता द्वारा बिल तैयार करने या न करने पर भी, प्राप्त माल या सेवा के लिए भविष्य में अदा की जाने वाली राशियों के लिए देयताएँ अभिचिह्नित की जाती हैं।

23. वित्तीय विलेखों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक अभिचिह्नन पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण तय करती है। प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता जो इक्विटी विलेख और वित्तीय देयताएँ होती हैं। ऐसी वितीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण विलेख होती हैं, केवल तभी पुनर्वर्गीकरण किया जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने के कारोबारी मॉडल में परिवर्तन किया गया हो। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है तो वह भविष्यलक्षी प्रभाव से ऐसे पुनर्वर्गीकरण को लागू करती है।

24. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ समंजन होती हैं और इसकी निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शाई जाती है बशर्ते कि अभिचिह्नित राशियों का समंजन करने का वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियोंको वसूल करने और देयताओं को निपटाने के लिए, निवल आधार पर एक साथ निपटाने का आशय हो।

25. पट्टे

कंपनी, पट्टेदार के रूप में

तृतीय पक्षकार के साथ की गई ऐसी संविदाएँ जिनसे कंपनी को किसी परिसंपत्ति के संबंध में उपयोग का अधिकार प्राप्त होता है, को भारतीय ए.एस. 116 – पट्टे के प्रावधानों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है, बशर्ते कि लेखा मानकों में निर्दिष्ट निर्धारण मानदंड पूरे होते हों।

अल्पकालीन पट्टों से संबंधित पट्टे के भुगतान और कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित पट्टों को पट्टे की अवधि या अन्य क्रमबद्ध आधार पर, जो भी लागू हो, पर सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

प्रारंभ की तारीख में, प्रयोग का अधिकार के मूल्य को पट्टे के बकाया भुगतान तथा अंतर्निहित परिसंपत्ति को अलग करने और हटाने की कोई प्रारंभिक लागत और प्राक्कलित लागत, यदि कोई हो, के वर्तमान मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है और उसे संयंत्र, संपत्ति और उपकरण के भाग के रूप में दर्शाया जाता है।

पट्टे की देयता पट्टे के बकाया भुगतान के वर्तमान मूल्य के समतुल्य राशि पर सृजित की जाती है और उसे उधार के रूप में दर्शाया जाता है। उसके बाद के मापन, यदि कोई हो, लागत मॉडल का प्रयोग करते हुए किए जाते हैं।

पट्टे के प्रत्येक भुगतान को सृजित देयता और वित्त लागत के बीच आबंटित किया जाता है। वित्त की लागत को पट्टे की अवधि पर लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के बचे शेष पर ब्याज की स्थिर आवधिक दर बनी रहे।

प्रयोग-का-अधिकार परिसंपत्ति को ऐसी परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम अवधि में और सीधी-रेखा आधार पर पट्टे की अवधि पर मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टे के भुगतान पर पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करते हुए, यदि ऐसी दर निर्धारित की जा सकती है, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर पर बट्टा दिया जाता है।

पट्टे के संशोधन, यदि कोई हो, को एक अलग पट्टे के रूप में हिसाब में लिया जाता है यदि मानक में निर्दिष्ट निर्धारण शर्तें पूरी की जाती हों।

26. इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और नकद-रहित वितरण

कंपनी इक्विटीधारकों को नकद या नकदरहित वितरण करने की देयता को अभिचिह्नित करती है जब ऐसे वितरण को प्राधिकृत किया जाता है और वितरण कंपनी के विवेक पर निर्भर नहीं होता।

27. वारंटियों का प्रावधान

कार्य-निष्पादन गारंटी तथा बेचे गए माल के प्रतिस्थापन / मरम्मत के कारण हुए व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलनों के आधार पर किया जाता है ।

ऐसे मामलों में जहां ऐसी प्रवृत्ति अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर वारंटी का प्रावधान किया जाता है।

28. प्रावधान

i. प्रावधानों को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब कंपनी में पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता (विधिक या इतर) होता है, इसकी संभावना है कि देयता को निपटाने के लिए आर्थिक हितलाभ देने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो और ऐसी देयता की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता हो।जब कंपनी कुछेक या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति अपेक्षित करती है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है लेकिन ऐसा केवल तभी किया जाता है जब प्रतिपूर्ति करनाआभासी रूप से निश्चित हो।इस प्रावधान से संबंधित व्यय को निवल प्रतिपूर्ति के रूप में लाभ व हानि के विवरण में दिखाया जाता है।

यदि धन राशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है तो दायित्व विशिष्ट जोखिम को प्रतिबिंबित करने वाले चालू पूर्व-कर दर, जब उचित हो, का प्रयोग करते हुए प्रावधानों को भुनाया जाता है। जब भुनाने का विकल्प लिया जाता है तो समयावधि के कारण प्रावधान में बढ़ोत्तरी को वित्तीय लागत के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अभिचिह्नित नहीं किया जाता लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

ii. निर्माण संविदाओं के अलावा दुर्वह संविदाओ के प्रावधानों को अभिचिह्नित किया जाता है जब ऐसी किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अपेक्षित हितलाभ संविदा के तहत इसकी देयताओं को पूरी करने की अपरिहार्य लागत से कम हो। इस प्रावधान का मूल्यांकन संविदा को समाप्त करने की अपेक्षित लागत तथा संविदा को जारी रखने के अपेक्षित निवल लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाताहै। किसी प्रकार का प्रावधान करने से पहले कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी परिसंपत्ति पर अनर्जक लागत को अभिचिह्नित करती है।

29. आकस्मिक देयताएँ / परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयताएँ / परिसंपत्तियाँ जहाँ तक प्रबंधन को जानकारी है, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ द्वारा प्रकट की जाती हैं।

30. नकदी प्राप्ति विवरण

नकदी प्राप्ति विवरण को नकदी प्राप्ति विवरण पर भारतीय-एएस 7 में वर्णित परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

31. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनसे आगे की परिस्थितियों के साक्ष्य मिलते हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए वितीय विवरणों को जारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है। गैर-समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो ऐसी परिस्थितियों का संकेत देती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने के बाद घटती हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद की गैर-समायोजनीय घटनाओं का लेखा नहीं किया जाता लेकिन प्रकट किया जाता है।

32. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों को लिए मूल व परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर डेटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूलअर्जन का परिकलन कंपनी केसामान्य इक्विटी धारकों को हुए लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है जिसे धारित स्वयं के शेयरों में समायोजित किया जाता है। सभी परिवर्तित संभावित सामान्य शेयरों के प्रभाव के लिए, परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का निर्धारण सामान्य इक्विटी धारकों तथा धारित स्वयं के शेयरों के लिए समायोजित, बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करते हुए किया जाता है।

33. परिसंपत्तियों की अनर्जकता –

कंपनी [नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू)] के संदर्भ में परिसंपत्तियों की अनर्जकता का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है यदि आंतरिक या बाहरी कारकों के आधार पर परिस्थितियों में किसी प्रकार के परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहनीय मूल्य की पूरी वसूली नहीं की जा सकती । अनर्जकता के कारण कोई हानि, जो वहनीय राशि और वसूली-योग्य राशि के बीच का अंतर है, का तदनुसार लेखा किया जाता है । सीजीयू में वसूली योग्य राशि निवल विक्रय कीमत या प्रयोग में मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होती है । प्रयोग में मूल्य का परिकलन कंपनी की कर उधार-पूर्व दर पर बट्टागत प्राक्कलित भावी नकदी प्राप्तियों के आधार पर होता है ।

34. त्रुटियाँ व प्राक्कलन

भारतीय-एएस में परिवर्तन के कारण यदि लेखा नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो या वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को अधिक संगत तथा विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करने के लिए कोई परिवर्तन करना हो तो कंपनी अपनी लेखा नीतियों में संशोधन करती है। लेखा नीतियों में ऐसे परिवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव से किए जाते हैं।

लेखा प्राक्कलन में कोई परिवर्तन जिससे अभिचिह्नित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशियों में या लाभ व हानि के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो उसे परिवर्तन की अवधि में भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाता है।

यदि ऐसी महत्वपूर्ण त्रुटियाँ मिलती हैं जिनसे पूर्वावधि जिसमें ऐसी त्रुटियों का पता चला था, की परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा बताते हुए पूर्वव्यापी ढंग से पुनरीक्षण किए जाते हैं। पूर्व की अवधि के प्रारंभिक शेष को भी दोबारा बताया जाता है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 112219 डबल्यू

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994

-हस्ता-
दिनेश कुमार बत्रा
निदेशक

-हस्ता-
शिवकुमारन के एम
निदेशक

स्थान- पुणे
दिनांक - 14 जून 2021

-हस्ता-
डी सी एन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

-हस्ता-
पी सरकार
मुख्य वित्तीय अधिकारी

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव

टिप्पणी 1 – 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

रु. लाख में

विवरण	सकल वहनीय राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय राशि	
	1 अप्रैल 2020 को	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के प्रभार	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
स्वामित्व की परिसंपत्तियाँ										
भवन	480	-	-	480	143	31	-	174	306	337
संयंत्र व मशीनरी	9,919	15	-	9,934	3,738	687	-	4,425	5,509	6,181
कार्यालयीन उपकरण	23	6	-	29	13	4	-	17	12	10
वैद्युत संस्थापना	130	-	-	130	51	15	-	66	64	79
फर्नीचर व जुड़नार	58	-	-	58	24	6	-	30	28	34
कंप्यूटर सिस्टम	41	-	-	41	27	6	-	33	8	14
उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियां										
पट्टाधारित भूमि	18	-	-	18	1	-	-	1	17	17
कुल	**10,669**	**21**	**-**	**10,690**	**3,997**	**749**	**-**	**4,746**	**5,944**	**6,672**
पिछले वर्ष	**10,607**	**62**	**-**	**10,669**	**3,120**	**877**	**-**	**3,997**	**6,672**	**7,487**

1. संयंत्र व मशीनरी (सकल वहनीय मूल्य) में रु. 33/- (पिछले वर्ष रु. रु. 33/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें टीपीडीयूपी परियोजना के तहत प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया ।
2. संयंत्र व मशीनरी (सकल वहनीय मूल्य) में रु. 5,611/- (पिछले वर्ष रु. 5,611/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूब की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया ।
3. संयंत्र व मशीनरी पर रु. 687/- के मूल्यह्रास में रु. 520/- के टीओटी उपकरणों (एक्सडी-4) का मूल्यह्रास शामिल है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एस.एल.एम.) द्वारा किया जाता है।
5. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अलावा मूल्यह्रास के परिकलन हेतु परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है -

   i) संयंत्र व मशीनरी (निरंतर प्रक्रम संयंत्र) 15 वर्ष

   प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, रैखिक अंतरण रेखा (निरंतर प्रक्रम संयंत्र) का समर्थन 15 वर्षों की अवधि के लिए टीओटी प्रदाता द्वारा किया जाता है।
   प्रबंधन द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर यह अभिनिश्चित किया जाता है कि रैखिक अंतरण रेखा का उपयोग 15 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा।
6. दो पाली के कार्य तथा तीन पाली के कार्य के संबंध में संयंत्र व मशीनरी की मदों पर क्रमश: 50% और 100% का अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।
7. कंपनी ने दिनांक 25.11.1991 को रु. 21/- की लागत पर 95 वर्षों के लिए एमआईडीसी से 13680 वर्ग मीटर की भूमि अर्जित की है जिसे नए निबंधन व शर्तों पर अतिरिक्त 95 वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकता है।
   पट्टाधारित भूमि की लागत को रु. 23/- में पूँजीकृत किया गया और सकल वहनीय राशि रु. 18/- है।
8. चालू वर्ष के संबंध में पट्टाधारित भूमि का मूल्यह्रास रु. 24,614/- है जिसे पूर्णांकित किया गया।
9. दृष्टिबंधन टिप्पणी के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें।
10. सकल वहनीय मूल्य और संचित मूल्यह्रास में सक्रिय उपयोग में न होने वाली परिसंपत्तियों से संबंधित रु. 2,024/- (पिछले वर्ष रु. शून्य) शामिल है जिसे पूर्णांकित किया गया है और जिसका निपटान लंबित है।

टिप्पणी 2 – चालूगत पूँजी कार्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
संयंत्र एवं मशीनरी		
प्रारंभिक शेष	5,085	5,010
जोड़ें- वर्ष के दौरान परिवर्धन	7	79
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	2	4
कुल	5,090	5,085

1. संयंत्र व मशीनरी में मुख्यत: रु. 4,971 राशि की एलटीएल शामिल है।

टिप्पणी 3 – 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की अमूर्त परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

	सकल वहनीय राशि				संचित परिशोधन				निवल वहनीय राशि	
विवरण	1 अप्रैल 2020 को	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2021 को	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष के लिए	कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
लाइसेंस शुल्क (एक्सडी-4)	18,424	-	-	18,424	6,250	1,250	-	7,500	10,924	12,174
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम	2	-	-	2	1	-	-	1	1	1
कुल	18,426	-	-	18,426	6,251	1,250	-	7,501	10,925	12,175
पिछले वर्ष	18,426	-	-	18,426	5,001	1,250	-	6,251	12,175	13,425

1. अमूर्त परिसंपत्तियों (सकल वहनीय राशि) में रु. 13,689/- (पिछले वर्ष रु. 13,689/-) शामिल है जिन्हें एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूब की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया।
2. ह्रास का परिकलन परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा पद्धति आधार पर किया जाता है।
3. चालू वर्ष और पिछले वर्ष के संबंध में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का ह्रास रु. 18,863/- है जिसे पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी 4 – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टीओटी (एक्सआर-5)		
प्रारंभिक शेष	8,513	7,016
जोड़ें – वर्ष के दौरान परिवर्धन	51	1,497
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	-	-
कुल	8,564	8,513

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्धन एक्सआर-5 करार के तहत अदा किए गए लाइसेंस शुल्क के कारण है।

टिप्पणी 5 – व्यापार प्राप्य– गैर इतर

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया – रक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया – अरक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य जिनका क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-
व्यापार प्राप्य, क्रेडिट ह्रास	140	140
1. संबंधित पक्षकार से	140	140
घटाएँ – संदिग्ध ऋण का प्रावधान	-	-
उप कुल **(1)**	20	20
	20	20
2 अन्य से	-	-
घटाएँ – संदिग्ध ऋण का प्रावधान		
उप कुल **(2)**		
कुल	-	-

संदिग्ध प्राप्यों की स्वीकृत्ति में संचलन नीचे दिया गया है -

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	160	162
वर्ष के दौरान अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान	-	-
वर्ष के दौरान बट्टा खाते में डाला गया	-	-
लाभ व हानि को जमा किया	-	2
वर्ष के अंत में शेष	160	160

संबंधित पक्षकार के प्रकटण के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें

टिप्पणी 6 – ऋण– गैर चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
सुरक्षा जमा		
- खरा माना गया, रक्षित	-	-
- खरा माना गया, अरक्षित		
एमएसईबी के पास जमा	31	31
जल आपूर्ति के लिए जमा	1	1
अन्य जमा	4	4
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		
- क्रेडिट ह्रास	-	-
कुल	36	36

उचित मूल्य मापनों के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें

टिप्पणी 7 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ – गैर चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
12 महीनों से अधिक की परिपक्वता की मीयादी जमाएँ	22	71
बैंक के पास प्रतिधारित मार्जिन राशि	-	-
मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	4
कुल	22	75

1. चालू वर्ष से संबंधित रु. 8,226/- के मीयादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।
उचित मूल्य मापनों के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें

टिप्पणी 8 – वस्तुसूचियाँ – गैर चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वस्तुसूचियाँ		
कच्चा माल	6	20
घटाएँ – खपत न होने वाले स्टॉक का प्रावधान	2	-
घटाएँ – अप्रचलन का प्रावधान	4	20
कुल	-	-

टिप्पणी 9 - अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
पूँजीगत अग्रिम		439		439
पूर्वदत्त व्यय		12		1
(एक्सआर-5) पर अदा किया गया अग्रिम सेवा कर		32		32
अग्रिम टीडीएस (एक्सआर-5)		48		48
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
अरक्षित जिन्हें संदिग्ध माना गया				
घटाएँ – संदिग्ध अग्रिम का प्रावधान	22		22	
	22	-	22	-
जमा राशि				
उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा	-		-	
विक्रय कर प्राधिकारियों के पास जमा	-		-	
न्यायालय के पास जमा (चुंगी)	14		14	
चुँगी के लिए जमा	23		23	
सेवा कर प्राधिकारियों के पास जमा	20		20	57
		57		
कुल		**588**		**577**

1. चालू वर्ष और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 1,000/- जो उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा है, पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी 10 – वस्तुसूचियाँ – चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
कच्चा माल	558		679	
मार्गस्थ माल (आरएमसी)	-		10	
भंडार और उपभोज्य	241		237	
चालू कार्य	2,489	3,288	2,945	3,871
मशीनरी के पुर्जे		351		351
कुल		**3,639**		**4,222**

टिप्पणियाँ

1) *कच्चे माल और घटकों में रु. _/- (पिछले वर्ष रु. -/-) शामिल है जो उप-ठेकेदारों के पास है और जो पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है।

2) ग्राहक की ओर से कंपनी द्वारा प्राप्त / प्रतिधारित परिसंपत्तियां वस्तुसूची का भाग नहीं है।

टिप्पणी- 11 - व्यापार प्राप्य – चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया, रक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया, अरक्षित		
- संबंधित पक्षकार से	47	73
- अन्य से	984	1
व्यापार प्राप्य जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई	-	-
व्यापार प्राप्य, क्रेडिट ह्रास	-	-
कुल	1,031	74

1. उचित मूल्य के मापन तथा वित्तीय विलेखों के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।
2. संबंधित पक्षकारों के प्रकरण तथा सुरक्षा दृष्टिबंधन के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें।
3. **भुगतान के समक्ष कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना**

भुगतान के निबंधन -

क. सरकार / सरकारी विभागों, पीएसयू की संविदाओं के सामान्य भुगतान निम्नलिखित में से किसी एक निबंधन में किए जाते हैं -

i) सात दिनों के भीतर 90% और निरीक्षण व स्वीकृति के बाद 10%

ii) आपूर्ति की तारीख से 30 दिनों की क्रेडिट

iii) आदेश देने के साथ 15% अग्रिम भुगतान, थोक सामग्री खरीदने के बाद 35%, थोक असेंबली के समापन तथा फेब्रिकेट किए गए पुर्जों के बाद 35%, प्रेषण का साक्ष्य प्राप्त होने पर 10%, स्टोर्स प्राप्त करने के साठ दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा होने के बाद 5%

ख. निजी ग्राहकों के साथ की गई संविदाएँ – माल प्रेषित करने से पहले अग्रिम भुगतान।

ग. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को संविदा की देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कार्य-निष्पादन देयता पूरी होने पर प्रगामी रूप से समायोजित किया जाता है। अग्रिम को समायोजित करने के बाद प्राप्य शेष राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

टिप्पणी – 12 – नकद व नकद समतुल्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
1. नकद व नकद समतुल्य		
क. बैंकों के पास शेष		
चालू खातों में	3	14
नकद क्रेडिट खाते में	37	3
मीयादी जमा में (3 महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि)	1,452	2,607
ख. हस्तस्थ नकद व स्टैम्प	-	1
कुल	1,492	2,625

1. नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। मीयादी जमा जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीनों से अधिक है परंतु 12 नहीनों तक की परिपक्वता अवधि है, को टिप्पणी सं. 13 में बैंक शेष में शामिल किया गया है।
2. हस्तस्थ नकद व स्टैम्प में चालू वर्ष से संबंधित रु. 110/- के हस्तस्थ स्टैम्प शामिल हैं जिन्हें पूर्णांकित किया गया। उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

नकदी प्राप्ति विवरणी के प्रयोजनार्थ, नकद व नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं –

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
बैंकों में शेष	1,492	2,624
हस्तस्थ नकद व स्टैम्प	-	1
कुल	1,492	2625

टिप्पणी – 13 – बैंक शेष

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
मीयादी जमा में (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीनों से अधिक और 12 महीनों से कम है)	330	265
बैंक के पास प्रतिधारित मार्जिन राशि	-	-
कुल	**330**	**265**

1. 12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को टिप्पणी सं. 7 में दिखाया गया है।
2. 3 महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा को टिप्पणी सं. 12 में दिखाया गया है।
3. कंपनी की नकद प्रबंधन नीतियों को समझने के लिए टिप्पणी सं. 39 (vi) देखें।
4. उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी – 14 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
मीयादी जमा में प्रोद्भूत ब्याज	24	16
अन्य प्राप्य	-5	-
प्राप्त वजीफा (प्रशिक्षु)		4
कुल	**29**	**20**

1. चालू वर्ष से संबंधित रु. 39,605/- और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 7,875/- के अन्य प्राप्यों को पूर्णांकित किया गया है।
   उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 15 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आय कर के अग्रिम भुगतान की धन वापसी के लिए आय कर प्राधिकारियों के पास शेष	215	114
आय कर का अग्रिम भुगतान	3	156
कुल	**218**	**270**

टिप्पणी 16 – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
पूर्वदत्त व्यय		16		15
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		80		90
यात्रा अग्रिम		1		-
अन्य अग्रिम				
अग्रिम टीडीएस (एक्सआर-5)				
(एक्सआर-5) पर अदा किया गया अग्रिम सेवा कर		9		9
राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष		6		6
देय एफबीटी वापसी	-		-	
जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट	2		187	
जीएसटी टीडीएस	-	2	62	249
कुल		**114**		**369**

1. चालू वर्ष और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 45,928/- की देय एफबीटी वापसी को पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी-17 – इक्विटी शेयर पूँजी

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
प्राधिकृत पूँजी -		
10/- प्रत्येक के 10,00,00,000/- (पिछली अवधि 10,00,00,000/-) इक्विटी शेयर	10,000	10,000
जारी पूँजी -		
10/- प्रत्येक के 8,45,06,970 (पिछली अवधि 8,38,62,590) इक्विटी शेयर	8,451	8,386
अभिदत्त एवं चुकता पूँजी -		
100/- पूर्ण चुकता के 8,45,06,970 (पिछली अवधि 8,38,62,590) इक्विटी शेयर	8,451	8,386

रु. लाख में

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का समाधान -	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	8,38,62,590	8,386	7,22,05,430	7,220
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त इक्विटी शेयर	6,44,380	64	1,16,57,160	1,166
घटाएँ – वर्ष के दौरान समपहृत / पुनर्खरीद किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	8,45,06,970	8,451	8,38,62,590	8,386

टिप्पणी -

1. सितंबर 2020 के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयरों का उप-विभाजन रु. 100/- प्रति शेयर से रु. 10 /- प्रति शेयर किया है।

2. उपर्युक्त में से, रु. 10 प्रत्येक के 8,45,06,970/- इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 8,38,62,590) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) और उसके द्वारा नामितों द्वारा धारित हैं। बेलॉप दिनांक 30 जुलाई, 2015 से बीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

3. कंपनी में 5% से अधिक के शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

रु. लाख में

विवरण	2020-21		2019-20	
	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %	शेयरों की सं.	शेयरधारण का %
इक्विटी शेयर - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	8,45,06,970	100	8,38,62,590	100

प्रत्येक वर्ग के शेयरों के साथ संबद्ध निबंधन, अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

क) कंपनी में केवल एक वर्ग के शेयर यानी इक्विटी शेयर हैं।

ख) इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर अपना मत देने और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान में भाग लेने का हकदार है।

ग) प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

घ) कंपनी को समाप्त करने पर, इक्विटी शेयरधारक विधि अनुसार सभी अधिमान राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, के वसूल किए गए मूल्य को प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

अंतिम लाभांश

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2018-19 का अंतिम लाभांश	91	426
वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2018-19 का लाभांश वितरण कर	-	87

टिप्पणी 18 - उधार

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
संबंधित पक्षकार से ऋण		
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी)		
मीयादी ऋण	-	99
कुल	-	**99**

विवरण के लिए टिप्पणी सं. 40(1) (ii) देखें।
उचित मूल्य मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 19 – सरकारी अनुदान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टीओटी (एक्सडी-4) परियोजना	10,006	11,307
कुल	**10,006**	**11,307**

सरकारी अनुदान के लिए टिप्पणी सं. 40(5) देखें।

टिप्पणी 20 -प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	459	370
कुल	459	**370**

वर्ष के दौरान प्रावधानों का संचलन इस प्रकार है –

रु. लाख में

विवरण	यथा 01.04.2020	परिवर्धन	उपयोगिता	यथा 31.03.2021	
				दीर्घकालीन	अल्पकालीन
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	393	99	18	459	15
कुल	**393**	**99**	**18**	**459**	**15**

टिप्पणी सं. 21

I) आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्तियाँ)(निवल)

रु. लाख में

समय अंतर की प्रकृति	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आस्थगित कर देयताएँ	837	815
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	801	949
कुल	**36**	**(134)**

II) लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राशि

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आय कर व्यय		
चालू कर	67	-
जोड़ें - आस्थगित कर	155	(34)
घटाएँ - पूर्व के वर्ष के कर	-	(52)
आय कर व्यय	**222**	**(86)**

III) अन्य व्यापक आय में निर्धारित आय कर

रु. लाख में

विवरण	31.03.2021			31.03.2020		
	कर पूर्व	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर	कर पूर्व	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर
नियोजन पश्चात निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन (हानि) / लब्धि	(64)	18	(46)	(264)	-	(264)
कुल	**(64)**	**18**	**(46)**	**(264)**	-	**(264)**

IV) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देयताएँ निम्नलिखित के कारण है –

रु. लाख में

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)		आस्थगित कर देयताएँ		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ) / देयताएँ	
	31.03.2021	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**	**31.03.2021**	**31.03.2020**
व्यापार प्राप्य - प्रावधान	(44)	(42)	-	-	(44)	(42)
अन्य प्रावधान	(143)	(260)	-	-	(143)	(260)
कर्मचारी अनुलाभ	(132)	(102)	-	-	(132)	(102)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	560	538	560	538
व्यापार देय	(6)	(6)	-	-	(6)	(6)
संयंत्र, संपत्ति और उपकरण	-	-	277	277	277	277
बोनस	(1)	-	-	-	(1)	-
अधिवार्षिता	(17)	(12)	-	-	(17)	(12)
कर हानि	-	(54)	-	-	-	(54)
एमएटी क्रेडिट	(458)	(473)	-	-	(458)	(473)
कुल	**(801)**	**(949)**	**837**	**815**	**36**	**(134)**

टिप्पणी सं. **21**

V) आस्थगितकर परिसंपत्तियों और देयताओं का संचलन

रु. लाख में

विवरण	01.04.2020को शेष	2020-21 के दौरान लाभ व हानि में निर्धारित	2020-21 के दौरान ओसीआई में निर्धारित	31.03.2021 को शेष
व्यापार प्राप्य - प्रावधान	(42)	(2)	-	(44)
अन्य प्रावधान	(260)	117	-	(143)
कर्मचारी अनुलाभ	(102)	(30)	-	(132)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	538	22	-	560
व्यापार देय	(6)	-	-	(6)
संयंत्र, संपत्ति और उपकरण	277	-	-	277
बोनस	-	(1)	-	(1)
अधिवार्षिता	(12)	(5)	-	(17)
एमएटी क्रेडिट	(473)	-	-	(458)
कर हानि	(54)	54	-	-
कुल	**(134)**	**155**	**-**	**36**

वर्ष के दौरान प्रयुक्त एमएटी क्रेडिट रु. 15 है। इसका लाभ व हानि पर कोई प्रभाव नहीं है।

रु. लाख में

2020-21				
vi)	प्रभावी कर दर का समाधान			
	विवरण	राशि	कर प्रभाव	कर दर
I	सामान्य दरों पर कर			
1	बही का लाभ	712		
2	कर की दर 27.82%		198	27.82%
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान		67	
4	जोड़ें – आस्थगित कर		155	
5	पूर्व के वर्षों के कर			
6	करों का निवल प्रावधान		222	
	अंतर (2-6)		(24)	(3.37%)
	इनका प्रभाव			
	अन्य व्यय		24	3.37%
	कुल		24	3.37%

2019-20				
vi)	प्रभावी कर दर का समाधान			
	विवरण	राशि	कर प्रभाव	कर दर
I	सामान्य दरों पर कर			
1	बही का लाभ	215		
2	कर की दर 26%		56	26.00%
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान		-	
4	घटाएँ – आस्थगित कर		(34)	
5	पूर्व के वर्षों के कर		(52)	
6	करों का निवल प्रावधान		(86)	
	अंतर (2-6)		142	66.04%
	इनका प्रभाव			
	गैर कटौती योग्य व्यय		(142)	(66.04%)
	कुल		(142)	(66.04%)

vii) कर की हानि को आगे ले जाया गया

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	कर की हानि को आगे ले जाया गया	-	209

viii) ऐसी कोई मद नहीं है जिस पर आस्थगित कर सृजित नहीं किया गया।

टिप्पणी 22 – उधार

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
संबंधित पक्षकार से ऋण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी **23** – सरकारी अनुदान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टीओटी (एक्सडी-4) परियोजना	1,315	1,328
कुल	**1,315**	**1,328**

सरकारी अनुदान के लिए टिप्पणी सं. 40 (5) देखें।

टिप्पणी 24 – व्यापार प्राप्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
(1) सूक्ष्म व लघु उद्यम को देय (2) सूक्ष्म व लघु उद्यम को छोड़कर लेनदारों को देय	139 249	25 513
कुल (1+2)	388	538

i) सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई)
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत सूचना उस सीमा तक प्रकट की गई है जिस सीमा तक ऐसे पूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अभिचिह्नित किया गया है। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें बकाया राशियों के विवरण इस प्रकार हैं

विवरण	2020-21	2019-20
वर्षांत में देय और प्रदेय राशि - मूलधन - उक्त मूलधन पर ब्याज	- -	- -
नियत तारीख के बाद वर्ष के दौरान किए गए भुगतान - मूलधन - ब्याज	– -	4 -
पहले से अदा किए गए मूलधन पर देय और प्रदेय ब्याज	-	-
वर्षांत में प्रोद्भूत कुल ब्याज तथा जो अदत्त रहा	-	-
ब्याज जो अनुवर्ती वर्षों में भी देय और प्रदेय उस तारीख तक बना रहा, जिस तारीख को उपर्युक्तानुसार देय ब्याज का वास्तविक भुगतान लघु उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ कर दिया गया।	-	-

ii) चालू वर्ष से संबंधित रु. शून्य/- और 31.03.2019 को रु. 22,111/- की राशि जिसे मूलधन पर देय और प्रदेय ब्याज के लिए पहले से अदा किया गया है, को पूर्णांकित किया गया।

iii) यह सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं के संबंध में उस सीमा तक दी गई है जिस सीमा तक कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के रूप में अभिचिह्नित किया जा सका।

iv) उचित मूल्य क मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 25 – अन्य वित्तीय देयताएँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता (बीईएल से ऋण)	378	1,534
पूँजीगत लेनदार	133	255
बीईएल से लिए गए ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	2	7
ईएमडी जमा	3	2
सुरक्षा जमा	50	48
बकाया देयताएँ	158	137
एमएसएमई को देय ब्याज	-	-
कुल	**724**	**1,983**

1. चालू वर्ष और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 22,111/- के एमएसएमई को प्रदेय ब्याज को पूर्णांकित किया गया। उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 26 – अन्य चालू देयताएं

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
संविदा देयताओं का संचलन				
ग्राहकों से अग्रिम		70		4
देय सांविधिक बकाया				
देय टीडीएस	11		28	
देय जीएसटी	167		-	
देय अन्य सांविधिक बकाया	14	192	12	40
कुल		**262**		**44**

2. संविदा देयताओं का संचलन

रु. लाख में

विवरण	2020-21	2019-20
प्रारंभिक शेष (क)	4	-
वर्ष के दौरान ग्राहकों से अग्रिम की प्राप्ति	182	4
कुल – (ख)	**182**	**4**
प्रारंभिक शेष से वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व के समक्ष समायोजित संविदा देयता	4	-
चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम में से वर्ष के दौरान निर्धारित राजस्व के समक्ष समायोजित संविदा देयता	112	-
कुल -(ग)	116	-
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	**70**	**4**

टिप्पणी 27 – प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान		517		1,001
कर्मचारी अनुलाभ का प्रावधान				
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	15		23	
उपदान	125		300	
वार्षिक प्रोत्साहन	121		96	
बोनस का प्रावधान	2		2	
वेतन पुनरीक्षण	-	263	493	914
कुल		**780**		**1,915**

वर्ष 2020-21के लिए प्रावधानों का संचलन

I) कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
वर्ष के प्रारंभ में वहनीय राशि	1,001	1,461
जोड़ें – वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	-	-
घटाएँ – वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	9	41
घटाएँ – वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	475	419
वर्ष के अंत में वहनीय राशि	**517**	**1,001**

देयता की प्रकृति तथा आर्थिक अनुलाभों के किसी परिणामी बहिर्वाह का अपेक्षित समय का संक्षिप्त विवरण-

1) वारंटी का प्रावधान -

उत्पादों की बिक्री के समय लागत प्रोद्भूत होता है। वारंट के प्रावधान विगत अनुभव पर आधारित हैं। ये प्रावधान बिक्री की तारीख से 24/48 महीनों की वारंटी अवधि पर किए जाते हैं।

प्रबंधन के आंकलन के आधार पर, वर्ष के दौरान वारंटी के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

II) कर्मचारी अनुलाभ का प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन	बोनस का प्रावधान	वेतन पुनरीक्षण
वर्ष 01.04.2020 के प्रारंभ में वहनीय राशि	96	2	493
जोड़ें –वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	74	2	-
घटाएँ –वर्ष 2020-21 के दौरान प्रयुक्त राशि	37	2	254
घटाएँ –वर्ष 2020-21 के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	12	-	239
वर्ष 31.03.2021 के अंत में वहनीय राशि	**121**	**2**	-

रु. लाख में

विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन	बोनस का प्रावधान	वेतन पुनरीक्षण
वर्ष 01.04.2019 के प्रारंभ में वहनीय राशि	168	2	470
जोड़ें – वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	2	2	153
घटाएँ – वर्ष 2019-20 के दौरान प्रयुक्त राशि	74	2	130
घटाएँ – वर्ष 2019-20 के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	-	-	-
31.03.2020 के अंत में वहनीय राशि	**96**	**2**	**493**

कार्यपालकों के वेतन पुनरीक्षण के कारण वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए रु. 48,255/- के बोनस के प्रावधान को पूर्णांकित किया गया।

कर्मचारी अनुलाभ

भारतीय ए.एस.-19

रु. लाख में

उपदान

भारतीय ए.एस. 19 द्वारा यथा अपेक्षित कर्मचारी अनुलाभ के विवरण इस प्रकार हैं -

निर्धारित अनुलाभ योजना

i) लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ या हानि रु. 61/- (पिछले वर्ष रु. 36-/) है।

ii) अन्य व्यापक आय के विवरण में अभिचिह्नित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ या हानि रु.64/- (पिछले वर्ष रु. 264/-) है।

iii) उपदान पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के अंतिम आहरित वेतन के 15 दिनों के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाला अनुलाभ है।

iv) उपदान योजना वित्त-पोषित योजना है।

रु. लाख में

	विवरण	उपदान	
(क)	**निर्धारित देयता जो प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाते हैं, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं -**	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के प्रारंभ में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	844	515
2	ब्याज की लागत	57	40
3	चालू सेवा लागत	40	24
4	विगत सेवा लागत	-	-
5	अंतरित देयताएँ / अधिग्रहण	-	-
6	(बाहर अंतिरत देयता / निर्निहितीकरण)	-	-
7	कांट-छांट पर हानि (लाभ)	-	-
8	निपटान पर प्रशमित देयताएँ	-	-
9	(नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अदा किए गए अनुलाभ)	-	-
10	(निधि से अदा किए गए अनुलाभ)	(12)	(4)
11	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	-	-
13	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	(2)	210
14	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – अनुभव के कारण	77	59
15	तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	1,004	844

रु. लाख में

(ख)	**निर्धारित देयता जो प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाते हैं, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं -**	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	544	369
2	ब्याज की आय	36	29
3	नियोक्ताओं द्वारा वास्तविक अंशदान	300	145
4	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
5	अंतरित परिसंपत्तियाँ / अधिग्रहण	-	-
6	(बाहर अंतिरत परिसंपत्तियाँ / निर्निहितीकरण)	-	-
7	(निधि से अदा किए गए अनुलाभ)	(12)	(4)
8	(निपटान पर वितरित परिसंपत्तियाँ)	-	-
9	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव	-	-
10	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
11	योजित परिसंपत्तियों से प्राप्ति, ब्याज की आय को छोड़कर	11	5
12	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	879	544

रु. लाख में

(ग)	तुलन-पत्र में निर्धारित राशि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	(1,004)	(844)
2	वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	879	544
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (कमी)]	(125)	(300)
4	तुलन-पत्र में निर्धारित निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	(125)	(127)

रु. लाख में

(घ)	तुलन-पत्र में निर्धारित राशि दर्शाने वाली निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य और योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	(1,004)	(844)
2	वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	879	544
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (कमी)]	(125)	(300)
4	अनिर्धारित विगत सेवा लागत	-	-
5	तुलन-पत्र में निर्धारित निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	**(125)**	**(300)**

रु. लाख में

(ङ)	चालू अवधि के लाभ या हानि के विवरण में निर्धारित व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	चालू सेवा लागत	41	25
2	ब्याज की लागत	20	11
3	विगत सेवा लागत	-	-
4	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
5	काट-छांट और निपटान पर हानि (लब्धि)	-	-
6	विदेशी मुद्रा विनियम दरों में परिवर्तनों का निवल प्रभाव	-	-
7	उपदान निधि में अंशदान के तहत लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित कुल व्यय	**61**	**36**

रु. लाख में

(च)	चालू अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.) में निर्धारित व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवधि की देयता पर बीमांकक (लब्धि) / हानि	75	269
2	योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति, ब्याज की आय सहित	(11)	(5)
3	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन	-	-
4	ओ.सी.आई. में निर्धारित अवधि के लिए निवल (आय) / व्यय	64	264

(छ) उपदान व अधिवार्षिता से संबंधित वित्त-पोषित अनुलाभों के संबंध में, योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य "बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियां" द्वारा निवेश की गई राशियों को दर्शाता है

रु. लाख में

(ज)	प्रधान बीमांकक की मान्यताएँ -	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बट्टे की दर (%)	6.86%	6.83%
2	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित आय (%)	6.86%	6.83%
3	वेतन वृद्धि (%)	10.50%	10.50%
4	कर्मचारी आवर्त की दर	2.00%	2.00%

(क) बट्टे की दर देयताओं के प्राक्कलित समय के दौरान तुलन-पत्र की तारीख पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर बाज़ार की प्रचलित लब्धि पर आधारित है।

(ख) योजित परिसंपत्तियों की वापसी की अपेक्षित दर – यह दर देयताओं के प्राक्कलित समय के दौरान निधि के निवेश पर अपेक्षित प्राप्ति की औसत दीर्घकालीन दर की अपेक्षा पर आधारित है।

(ग) वेतन में बढ़ोत्तरी की दर – भावी वेतन बढ़ोत्तरी का प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

रु. लाख में

(झ)	संवेदनशीलता विश्लेषण		
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	चालू मान्यताओं पर प्रक्षेपित अनुलाभ देयता	**1,004**	**844**
1	डेल्टा प्रभाव + बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	(78)	(70)
2	डेल्टा प्रभाव - बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	88	80
3	डेल्टा प्रभाव + वेतन वृद्धि की दर में 1% परिवर्तन	84	76
4	डेल्टा प्रभाव - वेतन वृद्धि की दर में 1% परिवर्तन	(76)	(69)
5	डेल्टा प्रभाव + कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	(16)	(15)
6	डेल्टा प्रभाव - कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	17	17

(ञ) उपदान निधि का निवेश बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।

छुट्टी का नकदीकरण

भारतीय एएस-19

कंपनी में छुट्टी नकदीकरण की योजना है जो वित्त-पोषण रहित योजना है।

इस योजना के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी प्रत्येक श्रेणी के लिए यथा निर्धारित न्यूनतम छुट्टी को प्रतिधारित करने की शर्त पर, अपनी संचित वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण करने के हकदार हैं। नकदीकृत छुट्टी (मूल वेतन + डी.ए.)/30 प्रति दिन की दर से देय होती है।

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति जैसे वार्षिक छुट्टी के भुगतान की देयता का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर यथा 31.03.2021 को रु. 474/- है। बीमांकिक मूल्यांकन पीयूसी विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

रु. लाख में

विवरण	**31.03.2021**	**31.03.2020**
सेवानिवृत्ति की आयु	58 वर्ष	58 वर्ष
संनिघर्षण दर	2%	2%
भावी वेतन वृद्धि	10.50%	10.50%
बट्टे की दर	6.86%	6.83%
मृत्युदर टेबल	भारतीय आश्वस्त मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय आश्वस्त मृत्यु दर (2006-08)

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियों पर देयता की राशि को बीमांकिक की रिपोर्ट के आधार पर चालू तथा गैर-चालू के बीच विभाजित किया गया है।

रु. लाख में

चालू देयता - रु. 15/-
गैर चालू देयता - रु. 459/-
कुल - रु. 474/-

टिप्पणी 28 – चालू कर देयताएँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)	-	-
आय कर पर ब्याज	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 29 – प्रचालन से राजस्व

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
(क) उत्पादों की बिक्री	4,032		3,697	
(ख) सेवाओं की बिक्री	43	4,075	24	3,721
(ग) अन्य प्रचालनीय राजस्व				
(i) अतिरेक प्रावधान जिसे पुनरांकित किया गया				
- प्रतिस्थापन की वारंटी	474		419	
- अप्रचलन वस्तुसूची	16		-	
- अन्य	-	490	9	428
(घ) सरकारी अनुदान		1,315		1,338
कुल राजस्व (क+ख+ग+घ)		**5,880**		**5,487**

i) 2020-21 के लिए ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के अलग-अलग आंकड़े

रु. लाख में

विवरण	भारत सरकार / पीएसयू				अन्य	कुल
	रक्षा	गैर-रक्षा	देशीय	निर्यात		
					समंजन कारोबार	
उत्पादों की बिक्री	3,780	210	42	-	-	4,032
सेवाओं से आय	24	1	18	-	-	43
कुल	**3,804**	**211**	**60**	**-**	**-**	**4,075**

ii) 2019-20 के लिए ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं के समक्ष निर्धारित राजस्व के अलग-अलग आंकड़े

रु. लाख में

विवरण	भारत सरकार / पीएसयू				अन्य	कुल
	रक्षा	गैर-रक्षा	देशीय	देशीय		
					समंजन कारोबार	
उत्पादों की बिक्री	3,681	-	16	-	-	3,697
सेवाओं से आय	17	7	-	-	-	24
कुल	**3,698**	**7**	**16**	**-**	**-**	**3,721**

iii) 2020-21 के लिए संविदा कीमत से लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राजस्व का समाधान

रु. लाख में

विवरण	राशि	राशि
लाभ व हानि खाते के विवरण के अनुसार राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	4,032	
सेवाओं से आय	43	
कुल (क)		4,075
समायोजन (ख)		-
संविदा कीमत (क-ख)	-	**4,075**

iv) 2019-20 के लिए संविदा कीमत से लाभ व हानि के विवरण में निर्धारित राजस्व का समाधान

रु. लाख में

विवरण	राशि	राशि
लाभ व हानि खाते के विवरण के अनुसार राजस्व उत्पादों की बिक्री सेवाओं से आय	3,697 24	
कुल (क)		3,721
समायोजन (ख)		-
संविदा कीमत (क-ख)		**3,721**

ii) कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना

1. अधिकांश संविदा कार्य-निष्पादन में, देयता को "एक निश्चित समय पर" पूरा किया जाता है जिसे प्राथमिक रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करने पर निर्धारित किया जाता है। इस पर विचार करने का एक प्रमुख सूचक उल्लेखनीय जोखिम का अंतरण और इन्को शर्तों के आधार पर ग्राहक को दिए जाने वाले प्रतिफल हैं।
2. कंपनी की संविदा में आम तौर पर कोई उल्लेखनीय वित्तीय घटक शामिल नहीं होता है और ग्राहक द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान और / या उनके द्वारा प्रतिधारित राशि संविदा के पक्षकारों के हितों की रक्षा करने उद्देश्य से है।
3. कंपनी के कुल कारोबार में मुख्य रूप से इमेज इनटेंसीफायर ट्यूबों की आपूर्ति करना है।.
4. ग्राहकों के साथ की गई संविदा में विशेष रूप से कोई वापसी / धन-वापसी का खंड शामिल नहीं होता है।
5. दी गई वारंटियाँ मुख्य रूप से कार्य-निष्पादन वारंटी की प्रकृति की हैं।
6. "एक निश्चित समय पर" पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में राजस्व को अभिचिह्नित करने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ग्राहक ने संविदा के अनुसार सुपुर्दगी के निबंधन में "परिसंपत्ति का नियंत्रण" प्राप्त कर लिया है या नहीं, निम्नलिखित मानदंड का इस्तेमाल किया जाता है -
7. संविदा के अनुसार सुपुर्दगी के निबंधन
8. ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
9. संस्थान ने परिसंपत्ति के वास्तविक अधिकार को अंतरित किया है
10. ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
11. संस्थान के पास परिसंपत्ति का भुगतान करने का मौजूदा अधिकार है
12. लेनदेन की कीमत का निर्धारित सामान्य रूप से ग्राहक के साथ की गई संविदा पर आधारित होता है।
13. चालू / पिछले वर्ष के दौरान नकद-इतर कोई प्रतिफल लिया /दिया नहीं गया।

टिप्पणी 30 – अन्य आय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
मीयादी जमा पर ब्याज	68	190
ब्याज - अन्य	3	3
विविध आय	2	4
रद्दी की बिक्री	-	6
कुल	**73**	**203**

1. चालू वर्ष से संबंधित रु. 4,277/- राशि की रद्दी की बिक्री को पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी 31 – खपत सामग्री की लागत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
1) खपत कच्चा माल और घटक		
प्रारंभिक स्टॉक	699	936
जोड़ें - खरीद	881	1698
	1580	2634
घटाएँ – अंतिम स्टॉक	564	699
उप – कुल (1)	**1016**	**1935**
2) खपत स्टोर्स और उपभोज्य		
प्रारंभिक स्टॉक	237	204
जोड़ें - खरीद	66	156
	303	360
घटाएँ – अंतिम स्टॉक	241	237
उप – कुल (2)	**62**	**123**
कुल (1+2)	**1078**	**2058**

टिप्पणी 32 – तैयार माल, व्यापारगत माल और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	2,945		1,712	
अंतिम स्टॉक	2,489	456	2,945	(1,233)
तैयार माल				
प्रारंभिक स्टॉक	-		-	
अंतिम स्टॉक	-	-	-	-
कुल घटौती / (बढ़ोत्तरी)		**456**		**(1,233)**

टिप्पणी 33 – कर्मचारी अनुलाभ व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन व भत्ते		926		1,065
छुट्टी नकदीकरण		106		181
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान				
भविष्य निधि				
अधिवार्षिता निधि	85		74	
उपदान	17		21	
अन्य निधियाँ	61		36	
	4	167	4	135
पी.एफ. पर प्रशासनिक तथा ईडीएलआई प्रभार		4		4
स्टाफ कल्याण व्यय		20		24
कुल		**1,223**		**1,409**

टिप्पणी 34 – वित्त लागत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज - अन्य	-	-
बीईएल द्वारा अल्पकालीन वित्त-पोषण पर ब्याज	21	181
बीईएल से ऋण पर ब्याज	23	49
नकद क्रेडिट पर ब्याज	1	-
आय कर पर ब्याज	-	-
आईजीएसटी और बीसीडी के विलंबित भुगतान पर उगाही ब्याज	-	-
एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर उगाही ब्याज	-	-
उप-कुल (1)	**45**	**230**
अन्य उधार की लागत		
ऋण प्रसंस्करण प्रभार	28	34
उप-कुल (2)	**28**	**34**
कुल **(1+2)**	**73**	**264**

1. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 30,145/- के नकद क्रेडिट (पिछले वर्ष रु. 45,242/-) पर ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।
2. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 574/- के आईजीएसटी और बीसीटी के विलंबित भुगतान (पिछले वर्ष रु. 8,274/-) पर लिए गए ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।
3. चालू वर्ष से संबंधित रु. 366/- के एमएसएमई पर ब्याज को पूर्णांकित किया गया।
4. वर्ष के दौरान बीईएल से ऋण पर पूँजीगत ब्याज की राशि रु. 54/- (पिछले वर्ष - रु. 126/-) की राशि जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है। पूँजीकरण दर 8.01% प्रतिवर्ष (पिछले वर्ष प्रतिवर्ष 7.74%) है।

टिप्पणी 35 – मूल्यह्रास / ह्रास

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	749	877
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	1,250	1,250
कुल	**1.999**	**2,127**

टिप्पणी 36 – तकनीकी सहायता शुल्क (एक्स आर – 5 टीओटी)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
तकनीकी सहायता शुल्क	-	250
कुल	-	**250**

टिप्पणी 37 – अन्य व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली और ईंधन	158	264
जल प्रभार	2	3
रॉयल्टी	-	19
यात्रा व वाहन	13	25
संप्रेषण	3	5
मुद्रण व लेखन सामग्री	2	4
बीमा	32	15
दर व कर	20	21
बैंक प्रभार	7	9
कानूनी व पेशेवर प्रभार	12	22
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि (निवल)**	9	26
मरम्मत		
मशीनरी	8	7
भवन	-	13
सामान्य रख-रखाव व्यय	112	144
अशोध्य ऋण	1	-
गैर-चलनीय स्टॉक का प्रावधान	2	-
सी.एस.आर. व्यय	23	-
विविध व्यय	8	23
कुल	**412**	**600**

1. ** विदेशी मुद्रा विनिमय की लब्धि/(हानि) ऐसे लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान/रिपोर्टिंग की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेनों के कारण दर विचलन के कारण है।

2. चालू वर्ष से संबंधित रु. 48,767/- राशि के भवन की मरम्मत को पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी 38(1) – प्रति शेयर अर्जन

(क) मूल व परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में अंश के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ व हानि के विवरण में प्रकट वर्ष हेतु कर पश्चात् निवल लाभ है।

(ख) मूल व परिवर्तित दोनों प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या 8,43,03,946 शेयर है।

(ग) सितंबर, 2020 माह के दौरान रु. 100/- प्रति शेयर से रु. 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य में इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन के परिणामस्वरूप, प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) को पिछली सभी रिपोर्ट की गई अवधियों के लिए समायोजित किया गया है।

रु. लाख में

प्रति शेयर अर्जन	2020-21	2019-20
चालू प्रचालन से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	0.58	0.40
बंद प्रचालन से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	-	-
मूल व परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में अंश के रूप में प्रयुक्त राशि	490	301
मूल व परिवर्तित दोनों प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	8,43,03,946	7,53,90,450

टिप्पणी 38(2)- सीएसआर व्यय से संबंधित प्रकटण

रु. लाख में

विवरण	नकद रूप में	नकद रूप में अदा किया जाना है	कुल	खर्च न की गई राशि का विनियोजन	कुल सीएसआर अनुदान
i. किसी परिसंपत्ति पर निर्माण / अधिग्रहण					
ii. उक्त (i) के अलावा प्रयोजन	-	23	23	-	23
	-	-	-	27	27

टिप्पणी सं. 39
वित्तीय जोखिम प्रबंधन

रु. लाख में

(i) जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीति

कंपनी वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि के जोखिम और बाज़ार के जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज दरों तथा कीमत के जोखिम का उतार-चढ़ाव) के अधीन है।

कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। इस प्रयोजनार्थ, मंडल ने एक जोखिम प्रबंध समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंध नीतियों को विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है । कंपनी ने ऐसी संस्थापित जोखिम प्रबंध नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना निर्धारित की गई है और जिसमें वित्त तथा प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता और उपचार करने का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

(ii) बाज़ार का जोखिम

बाज़ार का जोखिम वह जोखिम होता है जो बाज़ार की कीमतों में परिवर्तन से होता है जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय की दर, ब्याज की दर, जो कंपनी की आय अथवा इसके वित्तीय विलेखों के मूल्य को प्रभावित करते हैं । बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्राप्तियों को अनुकूलतम करते हुए स्वीकार्य परिमापियों के भीतर बाज़ार के जोखिमों का प्रबंध और नियंत्रण करना होता है।

कंपनी के कार्यकलापों से कंपनी प्राथमिक रूप से, विदेशी मुद्रा विनियम की दरों तथा ब्याज की दरों संचलनों में परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिम के अधीन होती है (मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम पर नीचे दी गई टिप्पणियाँ देखें)।

(iii) मुद्रा का जोखिम

बेलॉप यूएस डॉलर (यूएसडी), यूरो, एसजीडी, सीएचएफ जैसी विदेशी मुद्राओं में किए गए खरीद और बिक्री से संबंधित प्राथमिक विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से पैदा होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन है। विद्यमान तथा भावी वाणिज्यिक लेनदेनों तथा कंपनी की कार्यशील मुद्रा (आईएनआर) से अलग मुद्रा में अभिचिह्नित परिसंपत्तियों और देयताओं से विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पैदा होते हैं।

कंपनी की जोखिम प्रबंध समिति नियमित रूप से इस जोखिम के प्रति कंपनी के एक्सपोज़र की समीक्षा करती है।

कंपनी को निर्यात से होने वाली प्राप्तियाँ जिन्हें यूएसडी में अभिचिह्नित किया जाता है, निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी) में प्राप्त किए जाते हैं जिसका प्रयोग यूएसडी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए किया जाता है और इस तरह, निर्यातों पर मुद्रा संबंधी जोखिम को कम किया जाता है।

ग्राहक के आदेशों के मामले में, संविदा में ईआरवी खंड शामिल किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम किया जाता है।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की व्युत्पन्नी संविदा नहीं की है। यथा 31 मार्च 2021 को, कोई बकाया व्युत्पन्नी संविदा नहीं था।

मुद्रा जोखिम पर कंपनी का एक्सपोज़र इस प्रकार है -

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
	यूरो	यूएसडी	यूरो	यूएसडी
बैंक शेष	-	-	-	-
₹	-	-	-	-
बैंक ऋण - रक्षित	-	-	-	-
₹	-	-	-	-
व्यापार देय	4	-	8	-
₹	310	2	634	16
निर्धारित परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में निवल एक्सपोज़र	4	-	8	-
₹	**310**	2	**634**	16

रु. लाख में

1. चालू वर्ष के व्यापार देय यूएसडी 3,461.21 और पिछले वर्ष के व्यापार देय यूएसडी 22,218 को पूर्णांकित किया गया।
2. चालू वर्ष के निवल एक्सपोज़र यूएसडी 3,461.21 और पिछले वर्ष के यूएसडी 22,218 को पूर्णांकित किया गया।

(iv) विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता

यथा 31 मार्च 2021 को प्रमुख मुद्रा यूरो के समक्ष भारतीय रुपए के औचित्यपूर्ण संभावित सशक्तीकरण / (दुर्बलीकरण) से विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग के वित्तीय विलेखों को प्रभावित किया होगा और नीचे दी गई राशियों तक लाभ व हानि तथा इक्विटी को प्रभावित किया होगा। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्त, विशेषकर ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और इसमें पूर्वानुमान करने योग्य किसी बिक्री या खरीद के प्रभाव को महत्ता नहीं दी गई है -

रु. लाख में

विवरण	लाभ और इक्विटी पर प्रभाव	
	31.03.2021	31.03.2020
मुद्रा वार - यूरो दर में वृद्धि 5% तक	-17.67	-34.62
मुद्रा वार - यूरो दर में वृद्धि 5% तक	17.67	34.62

(v) ब्याज दर का जोखिम

ब्याज की दर का जोखिम उचित मूल्य वाला ब्याज दर या नकदी प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य वाला ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेशों के उचित मूल्यों में परिवर्तनों का जोखिम होता है। नकदी प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम होता है जो अस्थावी ब्याज वाले विलेखों की भावी नकदी प्राप्ति, बाज़ार की ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण परिवर्तित होगी।

क) कंपनी को बीईएल द्वारा एक्सआर-5 परियोजना के निष्पादन के लिए रु. 4,600 का मीयादी ऋण मंजूर किया गया है। इस पर ब्याज बीईएल द्वारा बैंक में जमा राशि पर पिछले महीने तक अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से अथवा पाँच वर्षों की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, प्रभारित होता है।

ख) बेलॉप को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकों और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600 की निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित कार्यशील पूँजी सीमा भी मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.30% प्रति वर्ष (एक्सिस बैंक) और 7.10% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है। एसबीआई और एक्सिस बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर अपने बेस दर से जुड़ी होती हैं जिसमें उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। यथा 31 मार्च 2021 को कुछ नहीं है जिसके संबंध में देय ब्याज एसबीआई और एक्सिस बैंक की बेस दर (निबंधन व शर्तों के अनुसार, एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों आवधिक आधार पर प्रभारित ब्याज को दोबारा निर्धारित करने के पात्र हैं) पर आधारित है।

(vi) चलनिधि का जोखिम

चलनिधि का जोखिम ऐसा जोखिम होता है जिसका सामना कंपनी को तब करना पड़ता है जब उसे नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सुपुर्द करते समय वित्तीय देयताओं से जुड़ी देयताओं को पूरा करते समय कठिनाई होती है या ऐसा जोखिम जब कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी करने के लि आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाते समय सामना करना पड़ता है। चलनिधि के जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोज़र बहुत कम होता है क्योंकि कंपनी में एक दूरदर्शी चलनिधि जोखिम प्रबंध प्रक्रिया विद्यमान होती है जिसमें देय दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है। निरंतर वित्त-पोषण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के पास चालू कार्यशील पूँजी संबंधी ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने की नकद क्रेडिट सुविधा की प्रकृति में अल्पकालीन बैंक सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं।

कंपनी मुख्यत: आंतरिक रूप से सृजित नकदी प्राप्ति द्वारा अपनी चलनिधि की आवश्यकताएं पूरी करती है जिसकी निगरानी देयताओं को पूरा करने के लिए, अपेक्षित नकदी प्राप्ति का आंकलन करते हुए की जाती है।

प्रकट की गई राशियाँ संविदाजन्य प्रकट न की गई नकदी प्राप्तियाँ होती हैं। नीचे दिए गए टेबल में संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है -

टिप्पणी सं. 39 –वित्तीय जोखिम प्रबंधन – चलनिधि का जोखिम (बिंदु सं. VI)

(I) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता -

नीचे दिए गए टेबल में सभी वित्तीय देयताओं को उनकी संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर संबंधित परिपक्वता समूह में दर्शाया गया है। यहाँ प्रकट की गई राशियाँ सकल तथा प्रकट न की गई नकदी प्राप्तियाँ हैं।

यथा 31 मार्च 2021 को

रु. लाख में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	उधार	-	-	-	-	-	-
II	दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वताएँ (बीईएल से ऋण)	378	-	-	-	-	378
III	व्यापार देय	388	-	-	-	-	388
IV	अन्य वित्तीय देयताएँ -						
क	अन्य देय	133	-	-	-	-	133
ख	सुरक्षा जमा	53	-	-	-	-	53
ग	बकाया व्यय	158	-	-	-	-	158
घ	उधार पर ब्याज	2	-	-	-	-	2
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	-

नोट- चालू वर्ष से संबंधित रु. 22,111/- के एमएसएमई के ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।

यथा 31 मार्च **2020** को

रु. लाख में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	उधार	-	-	-	99	-	99
II	दीर्घकालीन कर्ज की चालू परिपक्वताएँ (बीईएल से ऋण)	383	383	768	-	-	1,534
III	व्यापार देय	538	-	-	-	-	538
IV	अन्य वित्तीय देयताएँ -						
क	अन्य देय	255	-	-	-	-	255
ख	सुरक्षा जमा	50	-	-	-	-	50
ग	बकाया व्यय	137	-	-	-	-	137
घ	उधार पर ब्याज	7	-	-	-	-	7
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	-

नोट- चालू वर्ष से संबंधित रु. 22,111/- के एमएसएमई के ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।

(i) क्रेडिट का जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जिसमें प्रति पक्षकार अपनी संविदाजन्य देयताओं में चूक करता है जिसके कारण कंपनी को वित्तीय हानि होती है। क्रेडिट का जोखिम ग्राहकों, बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य, सुरक्षा जमा और ऋण के एक्सपोज़र से पैदा होता है।

कंपनी के क्रेडिट जोखिम का प्रबंध जोखिम प्रबंध समिति के निर्देशों से कार्पोरेट स्तर पर किया जाता है।

सरकारी / सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से व्यापार प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशि देय है जिसके कारण कंपनी में ऐसी लेनदारियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी व्यापार लेनदारियों के मामले में, आम तौर पर ग्राहक द्वारा संस्थापित साख-पत्र के आधार पर बिक्री की जाती है और इस तरह क्रेडिट का जोखिम कम किया जाता है।

बहुत विशेष मामलों में मंडल की अनुमति प्राप्त करने के बाद बैंक गारंटी के बिना अग्रिम भुगतान किए जाते हैं लेकिन कुल भुगतानों की तुलना में अग्रिम भुगतान की राशि बहुत कम होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनर्जक हानियाँ (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों की उगाही योग्य परिनिर्धारित हानियों को बताती हैं) संविदाजन्य निबंधनों आदि को ध्यान में रखने तथा अपेक्षित क्रेडिट हानि को प्रतिबिंबित करने के अन्य संसूचकों को ध्यान में रखने के बाद हिसाब में लिया गया है।

बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य अल्पकालिक जमाओं के रूप में हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की है। कंपनी अपनी अल्पकालिक जमा राशियाँ केवल राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा उनके संघीय बैंकों में ही रखती है । कंपनी को जमा राशियों पर बैंकों की चूक के कारण कोई हानि नहीं हुई है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम नाममात्र की है क्योंकि इसमें बैंकों द्वारा धारित मीयादी जमा राशियाँ शामिल हैं।

(ii) पूँजी प्रबंधन

कंपनी का पूँजी प्रबंधन उद्देश्य एक मज़बूत पूँजी आधार तथा अनुकूलतम पूँजी संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारकों के लिए सक्रिय औरलाभप्रद व्यवसाय बना रहे और इस रूप में जारी रखने में कंपनी की क्षमता सुनिश्चित हो सके। ऋण के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए कंपनी संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। एक्सआर-5 परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने 2015-16 से 2020-21 तक अधिकार निर्गम द्वारा और ऋण के माध्यम से वित्त-पोषण जुटाया है।

कंपनी ऐसी लाभांश वितरण नीति अपनाने की योजना बना रही है जिसमें भावी विकास और शेयर धारकों की संपदा बढ़ाने के लिए लाभांश का भुगतान करने और अधिशेष की राशि को प्रतिधारित किया जाता है।

यथा 31 मार्च 2021 को कंपनी का उधार इस प्रकार है -

क्र. सं..	विवरण	31 मार्च, 2021 को बकाया राशि, रु. लाख में	अभ्युक्तियाँ
2	बीईएल से मीयादी ऋण (एक्सआर-5 परियोजना)	378	तुलन-पत्र की टिप्पणी सं. 25 देखें

गियरिंग अनुपात इस प्रकार है –

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
निवल कर्ज	378	1,633
कुल इक्विटी	24,052	23,528
निवल कर्ज से इक्विटी अनुपात	0.02	0.07

टिप्पणी सं. 39 - वित्तीय जोखिम प्रबंधन (ix)

वित्तीय विलेख - उचित मूल्य के मापन

1. लेखांकन का वर्गीकरण और उचित मूल्य

निम्नलिखित टेबल में वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की वहनीय राशि और उचित मूल्य दर्शाए गए हैं -

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
		FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत	FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
I	व्यापार प्राप्य	-	-	1,031	-	-	74
II	ऋण						
A	सुरक्षा जमा	-	-	36	-	-	36
III	नकद व नकद समतुल्य	-	-	1,492	-	-	2,625
IV	अन्य बैंक शेष	-	-	330	-	-	265
V	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
क	मीयादी जमा	-	-	22	-	-	71
ख	मीयादी जमा पर ब्याज	-	-	24	-	-	20
	कुल	-	-	**2,935**	-	-	**3,091**

ख) वित्तीय देयताएँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021			31 मार्च, 2020		
		FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत	FVPL	FVOCI	ह्रासमान लागत
	उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताएँ	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय देयताएँ						
I	उधार	-	-	-	-	-	99
II	दीर्घकालीन कर्ज पर चालू परिपक्वताएँ (बीईएल से ऋण)	-	-	378	-	-	1,534
III	व्यापार देय	-	-	388	-	-	538
IV	अन्य वित्तीय देयताएं						
क	अन्य देय	-	-	133	-	-	255
ख	सुरक्षा जमा	-	-	53	-	-	50
ग	बकाया व्यय	-	-	158	-	-	137
घ	उधार पर ब्याज	-	-	2	-	-	7
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	**1,112**	-	-	**2,620**

टिप्पणी– चालू वर्ष से संबंधित रु. 22,111/- के एमएसएमई के ब्याज को पूर्णांकित किया गया (पिछले वर्ष रु. 22,111/-)

लेखों की सामान्य टिप्पणियाँ
टिप्पणी सं. 40

रु. लाख में

1 उधार

i) बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋण

क) कंपनी को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकरों और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600/- करोड़ की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। ब्याज की दर 8.30% प्रतिवर्ष (एक्सिस बैंक) और 7.10% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है।

ख) उपर्युक्त स्वीकृत सीमाएँ नीचे दर्शाए गए अनुसार पहले प्रभार द्वारा कच्चे माल, चालू स्टॉक, तैयार स्टॉक, भंडार एवं पुर्जे, पुस्त ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित कलपुर्जों को छोड़कर) के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित भी हैं। स्वीकृत सीमाएँ भूमि व भवन पर साम्य गिरवी द्वारा समरूप प्रभार द्वारा भी रक्षित हैं।

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
1	वस्तुसूचियाँ	3,639	4,222
2	व्यापार प्राप्य	1,031	74
3	नकद व नकद समतुल्य	1,492	2,625
4	बैंक शेष	330	265
5	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	29	20
6	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	114	369
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**6,635**	**7,575**

ii) बीईएल से एक्सआर-5 परियोजना के लिए मीयादी ऋण

बेलॉप ने एक्सआर-5 परियोजना के लिए बीईएल से रु. 4,600 का मीयादी ऋण प्राप्त किया है। पुनर्निर्धारण के बाद, मूलधन का भुगतान अगस्त 2019 से 36 समान किस्तों में देय हैं। यथा 31.03.2021 को बकाया ऋण राशि रु. 378/- (रु. 1,633/-) है। ब्याज बीईएल द्वारा पिछले महीने तक बैंकों के पास जमा राशियों पर अर्जित लब्धि की दर पर अथवा पाँच वर्ष की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनमें जो भी अधिक हो, मासिक रूप से प्रभारित किया जाता है।

2. एक्सआर-5 परियोजना का विवरण

वर्ष के दौरान एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। अदा किया गया लाइसेंस शुल्क विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान परियोजना के अधीन दी गई तकनीकी सहायता को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

<u>एक्सआर-5 परियोजना का वित्त-पोषण</u>

ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आई.आई.ट्यूबों के विनिर्देश बढ़ाने के लिए, बेलॉप ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों की टीओटी के लिए मेसर्स फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया। बीईएल इक्विटी के ज़रिए 22.95 मिलियन यूरो की मूल परियोजना लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित है कि संबंधित कर और शुल्क तथा बेलॉप में अवसंरचना के कोटि उन्नयन के प्रति परियोजना लागत की शेष राशि जो लगभग रु. 4,600 बनती है, ऋण द्वारा पूरी की जाएगी।

<u>राइट इश्यू</u>

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्त-पोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने प्रीमियम पर इक्विटी शेयरों के 64,438 (11,65,716) राइट इश्यू जारी किए जिसका अभिदान किया गया और शेयर आवंटित किए गए।

<u>ऋण प्राप्त करना</u>

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्तपोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने इस परियोजना के वित्त-पोषण हेतु बीईएल से रु. 267/- (रु. 320/-) का ऋण प्राप्त किया (रु. 4,600 के स्वीकृत मीयादी ऋण के समक्ष)।

3. शेयर की अदला-बदली

सितंबर, 2020 माह के दौरान रु. 100/- प्रति शेयर से रु. 10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों के उप-विभाजन के परिणामस्वरूप, प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) को पिछली सभी रिपोर्ट की गई अवधियों के लिए समायोजित किया गया है।

4. पूँजी खाते में निष्पादित करने के लिए शेष, जिसका प्रावधान नहीं किया गया, संविदाओं की प्राक्कलित राशि रु. 1/- (पिछले वर्ष रु. 3/-) है।

5. टीओटी (एक्सडी-4) के संबंध में अनुदान अंतरण के ब्यौरे

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	रु. लाख में	
		2020-21	**2019-20**
1	मूल्यह्रास	520	550
2	लाइसेंस शुल्क का ह्रास	1,250	1,250
3	कुल	**1770**	**1800**
4	अनुदान अंतरण का %	**74.30%**	**74.30%**
5	अनुदान अंतरण (3*4)	**1,315**	**1,338**

बेलॉप ने बेलॉप में उच्चतर विनिर्देश के आई.आई.ट्यूबों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु मे. फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया है जो अनुदान द्वारा वित्त-पोषित है। वर्ष 2020-21 में उपगत व्ययों के लिए अनुदान से टीओटी की लागत का प्रतिशत 74.30% है जिसे लाभ व हानि के विवरण में आय में अंतरित किया गया है।

6. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी का निवल)

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	**2020-21**	**2019-20**
1	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.50	1.50
	कुल	**1.50**	**1.50**

7. संबंधित पक्षकार का प्रकटण -

क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध जहाँ नियंत्रण मौजूद है, की प्रकृति –

रु. लाख में

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	धारक कंपनी

ख) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन

रु. लाख में

लेनदेन की प्रकृति	लेनदेन की राशि	लेनदेन की राशि	31.03.2021 की समाप्ति पर बकाया राशि		31.03.2020 की समाप्ति पर बकाया राशि	
	2020-21	**2019-20**				
	(रु.)	(रु.)	नामें (रु.)	जमा (रु.)	नामें (रु.)	जमा (रु.)
बिक्री	1183	566	-	-	-	-
खरीद	-	-	-	-	-	-
अदा किया गया ब्याज	98	356	-	-	-	-
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1	1	-	1	-	1
इक्विटी अंशदान (सुरक्षा प्रीमियम सहित)	157	2,833	-	17,422	-	17,265
अदा किया गया लाभांश	91	426	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य**	-	-	187	-	213	-
बीईएल से मीयादी ऋण	-	-	-	378	-	1,633
बीईएल से मीयादी ऋण पर ब्याज	-	-	-	2	-	7

** देनदारों में रु. 140/- (पिछले वर्ष रु. 140/-) शामिल है जिसके लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है।

i) बेलॉप ने 30 अप्रैल 2013 को टीओटी की रु. 104.16 करोड़ की लागत का अस्थाई वित्त-पोषण करने के लिए बीईएल के साथ करार किया है और इस करार के निबंधनों के अनुसार बेलॉप बीईएल को उक्त निधि की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

ii) बीईएल यानी धारक कंपनी के तीन अधिकारी प्रतिनियुक्त पर बेलॉप में हैं और वर्ष के दौरान उनके वेतन आदि का भुगतान बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड द्वारा नियोजन के निबंधन व शर्तों के अनुसार किया गया।

iii) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ने बीईएल द्वारा नियुक्त सतर्कता अधिकारी को अदा किए गए आनुपातिक वेतन को भी वहन किया है।

<u>सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ लेनदेन -</u>

चूँकि बेलॉप रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, इसने सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन के संबंध में भारतीय ए.एस. 24 के तहत अपेक्षित विस्तृत प्रकटण करने से छूट प्राप्त की है। यथा 31.03.2021 को व्यापार प्राप्यों के रूप में रु. 1002/- (पिछले वर्ष रु. 20/-) की राशि बकाया है।

ग) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक इस प्रकार हैं -

रु. लाख में

क्र.सं.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	पदनाम
1	श्री एम वी गौतमा	सीएमडी, बीईएल एवं अध्यक्ष, बेलॉप
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
3	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (31.07.2020 तक)	निदेशक (वित्त),बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
4	श्री महेश वी (31.08.2020 तक)	निदेशक (आर एंड डी), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
5	श्री दिनेश कुमार बत्रा (07.08.2020 से)	निदेशक (वित्त),बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
6	श्री शिवकुमारन के एम (10.09.2020 से)	निदेशक (एच.आर.), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
7	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,बेलॉप
8	श्री पी सरकार (26.06.2020 से)	मुख्य वित्त अधिकारी, बेलॉप
9	सुश्री प्रिया एस अय्यर (25.06.2020 तक सीएफओ)	कंपनी सचिव एवं उप महाप्रबंधक (एम.एस.),बेलॉप

उपर्युक्त छ: निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं और वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उन्हें कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया। बेलॉप के सीईओ और सीएफओ और कंपनी सचिव को अदा किया गया पारिश्रमिक नीचे दिया गया है –

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	अल्पकालिक अनुलाभ		सेवानिवृत्ति अनुलाभ		कुल	
		2019-20	**2019-20**	**2019-20**	**2019-20**	**2019-20**	**2019-20**
1	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	44	38	8	7	52	45
2	श्री पी सरकार	25#	-	6#	-	31#	-
3	सुश्री प्रिया एस अय्यर	22	20*	3	2	25	22

26.06.2020 से

* इसमें 01.01.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि का बकाया शामिल है।

8. "प्रचालनीय खंड" पर भारतीय-एएस लेखा मानक – 108 के अनुसार, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, यथा संशोधित, द्वारा रक्षा उत्पादन के कार्य में लगी कंपनियों को खंडवार रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।
9. कंपनी जो एकल सम्मिश्रित नकद सृजन करने वाली यूनिट है, ने आंतरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर यह पाया है कि इसकी परिसंपत्तियों की अनर्जकता का संकेत नहीं है, इसलिए, इसके लिए कोई अलग प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।
10. कंपनी ने वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया है जो संबंधित स्वाभाविक वर्गीकरण के तहत हैं जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं -

रु. लाख में

विवरण	**2020-21**	**2019-20**
सामग्री	2	40
पूँजीगत व्यय	-	-
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं अनुलाभ	10	2
सकल व्यय	**12**	**42**

11. मंडल ने दिनांक 01.04.2017 से लागू करते हुए अपने कार्यपालकों के लिए एक नई अधिवार्षिता योजना को अनुमोदन प्रदान किया है जिसे रक्षा मंत्रालय को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

12. आकस्मिक देयताएँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए (रु.)
क)	बकाया साख-पत्र	-	35
ख)	बकाया बैंक गारंटी (इसके समक्ष कंपनी द्वारा प्रति गारंटी दी गई है)	174	83
ग)	कंपनी द्वारा विवादित चुंगी मांग जिसे वित्तीय वर्ष 2005-6 में पुणे न्यायालय के खंडपीठ में जमा कराया गया । वर्तमान में यह मामला लघु मामला न्यायालय, पुणे में लंबित है।	14	14
घ)	कंपनी द्वारा विवादित सेवा कर	198	198
ङ)	ग्राहक के अनिष्पादित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो गई है, के संबंध में 31 मार्च तक का अनंतिम परिनिर्धारित हर्जाना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (क से ङ)	**386**	**330**

13. शेष कार्य-निष्पादन देयता का मूल्य (निष्पादन के लंबित आदेश)

ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं, जिन्हें आंशिक रूप से पूरा किया गया है या न किया गया है (निष्पादन के लंबित आदेश) में अभिचिह्नित न किए गए राजस्व

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	3 से अधिक वर्ष
अनिष्पादित आदेश मूल्य	1605	1605	-	-	-
कुल	1605	1605	-	-	-

14. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक माना गया, पुन:समूहित / पुन:वर्गीकृत किया गया है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

15. वित्तीय विवरणों में दिए गए सभी आंकड़ों को उनके निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए,

1. विचार

हमने **बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड** ('कंपनी') के संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 का तुलन-पत्र, समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्राप्ति विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सहित भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल है।

हमारे विचार में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना वांछित ढंग से देते हैं और 31 मार्च, 2021 को कंपनी के कार्यकलापों और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ, उसकी नकदी प्राप्ति और इक्विटी में परिवर्तन सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और उचित जानकारी देते हैं।

2. विचार का आधार

हमने भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी में भी वर्णित है। हम स्वतंत्र अपेक्षाएँ जो इस अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के अनुरूप हैं, के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी के निरपेक्ष हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य भारतीय ए.एस.वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार स्थापित करने का पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

3. स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जिनमें अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, में वर्णित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए.एस.) शामिल हैं, के अनुसार अन्य व्यापक आय, नकदी प्राप्ति तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन की सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करते हैं, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी का परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने,.न्यायोचित एवं दूरदर्शी निर्णय और प्राक्कलन करने के लिए तथा ऐसे समुचित **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण** तैयार करने, कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करने वाले तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त, कपट या त्रुटि द्वारा, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं, शामिल है।

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, लाभप्रद व्यवसात से संबंधित, यथा लागू मामलों को प्रकट करने और जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या कामकाज बंद करने का आशय नहीं रखता या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, लेखांकन के लाभप्रद व्यवसाय आधार को अपनाने हेतु जिम्मेदार है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने क लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों, चाहे धोखाधड़ी से या त्रुटि से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार उल्लिखित हैं। औचित्यपूर्ण आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा से हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत कथन, यदि हो, का पता लगेगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से, वे इन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के आधार पर लेने पर प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

4. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("दि ऑर्डर") में की गई अपेक्षा अनुसार, हम "अनुलग्नक-क" में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों, जहाँ तक वे लागू होते हैं, पर एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -
   (क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;
   (ख) हमारे विचार से, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है;
   (ग) इस रिपोर्ट में व्यवहरित तुलन-पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, नकदी प्राप्ति विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;
   (घ) हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का पालन करते हैं;
   (ङ) 31 मार्च 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर जिसे निदेशक मंडल द्वारा दर्ज किया गया हैं, यथा 31 मार्च 2021 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के परिप्रेक्ष्य में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है;
   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय दक्षता के संबंध में, "अनुलग्नक-ख" में दी गई हमारी रिपोर्ट देखें, तथा

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं –

क. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है –वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40(12) देखें

ख. कंपनी को व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू नियमों या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि ऐसी कोई संविदा नहीं की गई;

ग. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को अंतरित करने संबंधी उक्त खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(5) में यथा अपेक्षित, हमने भारत के नियंत्रक व महालेखाकार द्वारा जारी निर्देशों, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभावपर विचार किया है (अनुलग्नक-ग)।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे
14 जून, 2021
यूडीआईएन - 21041994AAAACJ4657

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 5(1) में संदर्भित)

1. कंपनी ने प्रमात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं।

   क) कंपनी में इसकी अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम मौजूद है जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन कियाजाताहै।

   ख) इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछेक अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। हमारे विचार से, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ऐसे वास्तविक सत्यापन की आवधिकता उचित है।

   ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।

2. प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन वर्षांत में किया गया है और लेखा बहियों तथा वास्तविक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व की साझेदारियों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, रक्षित या अरक्षित प्रदान नहीं किया है। इसलिए, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति से कोई ऋण, निवेश या गारंटी नहीं लिया है।

5. कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए, पब्लिक से स्वीकृत जमा राशियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों का अनुपालन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6. केंद्र सरकार ने कंपनी के कुल कारोबार के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण निर्दिष्ट किया है।

7.

   क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, विक्रयकर, मूल्य वर्धितकर, सीमाशुल्क, सेवाकर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई / प्रोद्भूत राशि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है।

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यथा 31 मार्च 2021 को भविष्यनिधि, श्रम कल्याण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उत्पाद शुल्क, माल व सेवा कर तथा उपकर के संबंध में प्रदेय ऐसी कोई अविवादित राशि इस तरह प्रदेय होने की तारीख से छः महीनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आय कर, सेवा कर और केंद्रीय विक्रय कर को छोड़कर, आयकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल व सेवा कर, उपकर जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है, की कोई देय राशि नहीं है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे देय जिन्हें कंपनी द्वारा विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है, इस प्रकार हैं –

क्र.सं.	देय की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2021
1.	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2014-2015	12,62,327
2.	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2016-2017	1,69,18,951
3.	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2015-2016	15,83,123

8. कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋण पत्रधारक से कोई कर्ज या ऋण के चुकतान में कोई चूक नहीं की है।

9. कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर / अतिरिक्त पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) द्वारा कोई राशि नहीं जुटाया है। मीयादी ऋण का आवेदन ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह आशयित है।

10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान इसकी कोई रिपोर्ट की गई।

11. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी एक सरकारी कंपनी है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में यथा परिभाषित, अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015), इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

13. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन, जहाँ लागू हैं, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए गए हैं और ऐसे लेनदेन के विवरणों को लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रु. 100/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 64,438 इक्विटी शेयरों को अधिकार आधार प रु. 143/- के प्रीमियम पर निजी प्लेसमेंट किया है जिसकी राशि रु. 92,14,634/- बनती है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों के साथ नकद-इतर कोई लेनदेन नहीं किया है, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे
14 जून, 2021
यूडीआईएन - 21041994AAAACJ4657

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

(बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 5(2) (एफ) में संदर्भित)

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2021 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ("दि कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

2 आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी होता है। इन उत्तरदायित्वों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित, इसके कारोबार को क्रमबद्ध और प्रभावी ढंग से चलाने, कंपनी की नीतियों का पालन करने, उसके परिसंपत्तियों की रक्षा करने, कपटपूर्ण कार्यों तथा त्रुटियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

3. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में वर्णित अनुसार माना गया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों दोनों पर लागू है, के अनुसार संचालित की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और उसे निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित हैं तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उनकी प्रचालनीय दक्षता के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, यदि कोई महत्वपूर्ण कमी को तो उसके जोखिम का मूल्यांकन करना और इस तरह मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालनीय दक्षता की जाँच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की जोखिमों, कपट अथवा त्रुटि से, का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार व्यक्ति करने का समुचित और औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनार्थ, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो-

(1) ऐसे अभिलेखों को रखने से संबंधित हैं जो विवेकपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा उनके स्वभाव को सटीक और न्याय संगत ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) ऐसे उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सभी लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी अनुमत करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और खर्च प्रबंधन के प्राधिकरण तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता चलने संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

5. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों पर प्रबंधन के टकराव या अनुचित प्रबंधन की आशंका, त्रुटिया कपटपूर्ण कार्यों से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन शामिल हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए इस वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्राक्कलन ऐसे जोखिमों परनिर्भर करते हैं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाते हैं अथवा इन नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर घट जाता है।

6. विचार

हमारे विचार से, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से, वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंधमें समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2021 को प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे
14 जून, 2021
यूडीआईएन - 21041994AAAACJ4657

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर प्रतिक्रिया

प्रबंधन की प्रतिक्रिया तथा लेखों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं -

क्र.सं.	निर्देश	प्रतिक्रिया
1.	क्या कंपनी में आई.टी. प्रणाली के माध्यम से अपने सभी लेखा लेनदेनों पर कार्यवाही करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय विहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर आई.टी. प्रणाली के इतर लेखा लेनदेन करने के विहितार्थ बताएँ।	कंपनी में आई.टी. प्रणाली के माध्यम से अपने सभी लेखा लेनदेनों पर कार्यवाही करने की व्यवस्था है । ऐसा कोई लेखा लेनदेन नहीं है जो आई.टी. प्रणाली के इतर किए जाते हैं, इसलिए, वित्तीय विहितार्थ का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण का चुकतान न करने पाने के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना की गई या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताएँ। क्या ऐसे मामलों का लेखा उचित रूप से किया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए भी लागू होता है)	लेखा बहियों की हमारी समीक्षा और प्रबंधन के पुष्टीकरण के आधार पर, कंपनी पर ऋणदाता द्वारा किसी विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना करने या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र / राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों की किसी विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों (अनुदान / आर्थिक सहायता आदि) का उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित लेखा किया गया / उपयोग किया गया? यदि इसमें कोई विचलन का मामला हो तो बताएँ।	लेखा बहियों की हमारी समीक्षा के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्र / राज्य की एजेंसियों से कोई निधि प्राप्त नहीं की।

- हस्ता -
सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994

कृते व इसकी ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे
14 जून, 2021
यूडीआईएन - 21041994AAAACJ4657

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

By Speed Post
Confidential

सं./No. Insp/BELOP Accs 20-21/2021-22/ 114

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 13th August 2021

To
Sri M.V. Gowtama,
Chairman,
M/s.BEL Optronic Devices Limited,
Pune – 411 026.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of M/s. BEL Optronic Devices Limited, Pune for the year ended 31 March 2021.

I forward **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the financial statements of M/s. BEL Optronic Devices Limited, Pune for the year ended 31 March 2021.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013; and

(iii) Placed next to the Statutory Auditors' Report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,
(Arun Kumar V.M.)
Dy. Director (Admin)

Encl: As above.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BEL OPTRONIC DEVICES LIMITED, PUNE FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of **M/s. BEL Optronic Devices Limited, Pune** for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 14 June 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **M/s. BEL Optronic Devices Limited, Pune** for the year ended 31 March 2021 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

13/08/2021
(Santosh Kumar)
Pr. Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru
Date: 13 August 2021

टिप्पणियां

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की सहायक कंपनी
सी.आई.एन. U32100PN1990GOI058096
पंजीकृत एवं प्रधान कार्यालय – ईएल – 30, 'जे' ब्लॉक
भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे – 411 026 (भारत)
फ़ोन - (020) 27130981 (4 लाइनें)
27130604, 27130220, 27130355
फैक्स - (020) 27130589
ईमेल –info@belop.co.in